वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

विनियामक फोरम (एफओआर)

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालय: मार्फत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

तृतीय और चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001

दूरभाष :+91-11-23753920 फैक्स : 91-11-23752958

प्रस्तावना

मुझे विनियामक फोरम (एफओआर) की वर्ष 2022–23 के वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसमें कोविड–19 महामारी के उपरांत विनियामक फोरम (एफओआर) का एक उल्लेखनीय वर्ष भी सम्मिलित है। इस वित्तीय वर्ष को व्यापक अनुसंधान, मॉडल नियमों के विकास और नियामक आयोगों और मंत्रालयों द्वारा भेजे गये महत्वपूर्ण मामलों पर विचारपूर्ण विचार–विमर्श द्वारा चिह्नित किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं।

एफओआर की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों में ओपन निर्बाध पहुंच प्रभार और बैंकिंग प्रभार की संगणना की पद्धति से संबंधित मॉडल विनियमों को अंतिम रूप देना, विद्युत (हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 कैप्टिव उत्पादन करने वाले संयत्र एवं कैप्टिव उपभोक्ता के सत्यापन पर मॉडल विनियमों के अनुरूप बनाना, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल हैं। इस प्रकार, हमने विनियामक प्रबंधन में उत्कृष्टता के प्रति अपने समर्पण पर बल दिया गया है। एफओआर ने सतर्क मूल्यांकन के उपरांत विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 एवं विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 से संबंधित निविष्टि को अंतिम रूप दिया।

अपनी 76वीं बैठक में, हमने नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण की बढ़ती पैठ में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) की महत्वपूर्ण आवश्यकता का निवारण करने के लिए ईएसएस और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का आकलन करने के लिए समर्पित कार्य समूह का गठन किया। अपनी 77वीं बैठक के दौरान, हमने परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) कटौती के प्रबंधन और ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर केन्द्रित कार्य समूह की स्थापना की। ये सक्रिय कदम स्थायी ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने में एफओआर की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। इसके उपरांत, अपनी 83वीं बैठक में, हमने इन कार्य समूहों द्वारा अनुशंसित रिपोर्टों और दिशानिर्देशों की समीक्षा और अनुमोदन करके हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया।

इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण कदम बहु–वर्षीय वितरण टैरिफ पर मॉडल विनियमों का नवीनीकरण था, जो हमारे राज्यों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ के रूप में कार्य करेगा। हमारी विनियामक क्रियाकलापों के अतिरिक्त, हमारे अध्ययन में प्रक्रिया के सरलीकरण (छत सौर कार्यक्रम चरण–II से आरईसी विनियम), आरपीओ और ऊर्जा भंडारण दायित्व प्रक्षेप पथ तक विविध विषय शामिल थे। इस फोरम ने विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विषयों का भी पता लगाया जिसमें विद्युत बिल से संबंधित एपीआई के लिए एसईटीयू प्लेटफॉर्म पर एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग, नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए उचित दर–सूची (टैरिफ) श्रेणी का कार्यान्वयन और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में जैव–ईंधन (बायोमास) सह–जला कर तैयार करना शामिल है।

विद्युत विनियामक आयोगों में अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के प्रयास में, एफओआर ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम और अध्ययन दौरों का आयोजन जैसे अनेक पहल आरंभ किये। विशेष रूप से, कई एसईआरसी के अध्यक्षों से जुड़े दो अध्ययन दौरे जून और नवंबर, 2022 में ब्रुसेल्स और ओस्लो में हुए जो वित्तीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) और बैटरी ऊर्जा भंडारण से संबंधित प्रणालीं पर केंद्रित थे। इसके अतिरिक्त, नवंबर, 2022 में सीजीआरएफ के अधिकारियों और ''उपभोक्ता हित की सुरक्षा'' पर लोकपाल के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आईआईटी के नोएडा आउटरीच सेंटर और मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में ''नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और बाजार विकास पर नियामक परिप्रेक्ष्य'' पर केंद्रित अधिकारियों के लिए 16वां क्षमता–निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इस प्रकार, एफओआर विनियामक आयोगों में सभी स्तर के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहा है।

हम अत्यंत विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं कि हमारी सफलता हमारे सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है और हम उनके समर्थन के लिए सभी हितधारकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम उत्सुकता से उनकी स्थायी साझेदारी की आशा करते हैं, साथ में टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं और साझा उत्कृष्टता द्वारा प्रकाशमय भविष्य को आकार देने के कार्य में जुटे हुए हैं।

अध्यक्ष,
एफओआर

विषय–वस्तु

1.	**विनियामक फोरम के बारे में (एफओआर)**	**7**
	फोरम का गठन	7
	फोरम के कार्य	7
	फोरम का वित्त	9
	मिशन विवरण	9
2	**फोरम की गतिविधियां**	10
	क. विनियामक फोरम की बैठकें	10
	ख. पूरे किए गए अध्ययन	18
	ग. क्षमता निर्माण कार्यक्रम	22
3.	**2022–23 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धि (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी)**	**27**
	क. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	27
	ख. राज्य विद्युत विनियामक आयोग	30
4.	**राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर स्थिति रिपोर्ट**	**36**
5.	**केविविआ / एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची**	**40**
6.	**एफओआर के वार्षिक लेखा**	**42**
	अनुबंध- 1	62
	अनुबंध- II	91
	अनुबंध- III	100
	अनुबंध- IV	105

1 विनियामक फोरम (एफओआर) के बारे में

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की संकल्पना वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में हुई, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली विद्युत पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) समिति ने वर्ष 1994 में ''सार्वजनिक और निजी प्रयोज्ताओं की टैरिफ नीतियां विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र पेशेवर टैरिफ बोर्ड'' के गठन की सिफारिश की थी। समिति ने दोहराया कि टैरिफ बोर्ड प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए उपयुक्त विद्युत टैरिफ विकसित करने के मामले में अपने साथ उच्च स्तरीय व्यावसायिकता लाने में सक्षम होंगे। वर्ष 1996 में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में एक विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को दोहराया गया था। विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना जो इस सम्मेलन में विकसित हुई, में अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर सहमति बनी कि राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) का सुधार और पुनर्गठन अत्यंत आवश्यक हैं और इन्हें एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए तथा इस दिशा में एक कदम के रूप में विद्युत विनियामक आयोग सृजित करने की बात पर सहमति बनी। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हुए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1998 का अधिनियम टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1998 का अधिनियम केंद्र और राज्यों में तर्कसंगत विद्युत दर, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों आदि के लिए ईआरसी का प्रावधान करता है। वर्ष 1998 अधिनियम को तब से विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में, 2003 अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2003 अधिनियम की शुरूआत के साथ, अन्य बातों के साथ–साथ सरकार को विद्युत बाजार के विकास और सलाहकार कार्य की भूमिका निर्दिष्ट करते हुए विद्युत विनियामक आयोगों के कार्य बढ़ा दिये गयें। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और अधिकांश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) का गठन 1998 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। हालाँकि, कुछ एसईआरसी/जेईआरसी जैसे मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी), जेईआरसी– (मणिपुर और मिजोरम), जेईआरसी (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश) और जेईआरसी (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) का गठन वर्ष 2003 अधिनियम के लागू होने के उपरांत किया गया था। इस फोरम का गठन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय की 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य ईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए तैयार किये गए नियमों के साथ तालमेल बैठाना था।

फोरम का गठन

यह फोरम में केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्ष से मिलकर बनेगा। केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष एफओआर का अध्यक्ष होगा। केंद्रीय आयोग का सचिव फोरम का पदेन सचिव होगा। केंद्रीय आयोग इस फोरम को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

फोरम के कार्य–कलाप

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

1) डेटा संग्रह और विश्लेषण –

क. केंद्रीय आयोग और राज्य आयोगों की दर–सूची (टैरिफ) के आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण, अधिनियम और टैरिफ नीति के प्रावधानों से अंतर, यदि कोई हो, पर प्रकाश डालना, क्या टैरिफ आदेश और सही समय पर किए गए हैं, और क्या टैरिफ सभी विवेकसम्मत लागतों को दर्शाता है, और क्या देय सब्सिडी को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया है और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार भुगतान किया गया है;

2) सब्सिडी लेखांकन –

क. देश में प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी का यह उल्लेख करे हुए त्रैमासिक विवरण तैयार करना कि क्या वितरण कंपनियां सब्सिडीकृत श्रेणी के अंतर्गत उपभोग की गई ऊर्जा और देय प्रति यूनिट सब्सिडी के सटीक लेखाओं के आधार पर हर तिमाही में सब्सिडी की मांग करती हैं, और क्या उक्त सब्सिडी का भुगतान, देय और प्रदत्त सब्सिडी में अंतर के साथ–साथ अन्य प्रासंगिक विवरण अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत किया जाता है।

ख. देय सब्सिडी की गणना विद्युत मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी और यह विवरण फोरम द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति तिथि से तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार और संबंधित राज्य आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

3) नवीकरणीय खरीद अनुपालन की निगरानी –

क. प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव खपत और निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत खरीदने वाले उपभोक्ता द्वारा लक्ष्यों का अनुपालन नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत की खरीद जो केंद्र सरकार या राज्य आयोग द्वारा निर्धारित हो, जो भी अधिक हो, के लिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम, दिशानिर्देश प्रावधानों के अनुसार करेगा।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा से खरीद के लक्ष्यों के अनुपालन के लिए डेटा और उसके विश्लेषण से युक्त वार्षिक रिपोर्ट आगामी वित्तीय वर्ष के 31 मई तक केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी।

4) विद्युत क्षेत्र में विनियमन का सामंजस्य;

5) लाइसेंसधारियों के कार्य निष्पादन मानक निर्धारित करना जो अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित हैं।

6) फोरम के सदस्यों के बीच सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुद्दों पर सूचना साझा करना।

7) विद्युत क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर घरेलू या आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसंधान कार्य करना;

8) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और विद्युत क्षेत्र में दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उपाय विकसित करना; और

9) ऐसे अन्य कार्य जो केंद्र सरकार समय–समय पर उसे निर्दिष्ट करे।

फोरम का वित्तपोषण

केंद्रीय आयोग, फोरम का सचिवालय होने के नाते, फोरम के कार्यकलाप संचालित करने के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकता है। केंद्रीय आयोग फोरम के कार्यकलापों का अलग लेखा–जोखा रखेगा।

मिशन कथन

विनियामक फोरम की संकल्पना भारत में विद्युत क्षेत्र में हिस्सेदारी रखने वाले सभी लोगों के स्वतंत्र विनियमन और सशक्तिकरण के विकास को बढ़ावा देने के मिशन के उद्देश्य से गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति में, फोरम के लक्ष्य हैं:

1) विद्युत क्षेत्र में विनियमन का सामंजस्य

2) संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन

3) भारत के विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को मंच प्रदान करना

4) उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों का कार्यान्वयन करते हुए विद्युत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की पहल को सुविधाजनक बनाना।

2 फोरम की गतिविधियां

क. विनियामक फोरम की बैठकें

फोरम ने वर्ष 2022–23 के दौरान चार वर्चुअल बैठकें और पांच भौतिक बैठकें आयोजित कीं और इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाई। एफओआर की इन नौ बैठकों में से तीन बैठकें विशेष बैठकें थीं।

1. नई दिल्ली में दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को आयोजित एफओआर की 79वीं बैठक

बैठक के दौरान फोरमः

1) फोरम ने वित्त वर्ष 2022–23 के बजट का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया कि 5.25 करोड़ रुपये की उपलब्ध अधिशेष निधि के दृष्टिगत, फोरम की वार्षिक सदस्यता प्रभार 4 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी। हालाँकि, सदस्यता प्रभार में यह कटौती केवल वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ही लागू होगी।

2) फोरम ने वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति, वित्त वर्ष के लिए कर सलाहकार की नियुक्ति, वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी सलाहकार की नियुक्ति का अनुमोदन किया। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में नया बैंक खाता खोलने का भी अनुमोदन किया गया।

3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अंतर्गत एसईआरसी के लिए छूट प्राप्त करने से जुड़ी बोझिल प्रक्रिया को देखते हुए, फोरम ने सचिवालय को एसईआरसी की स्थायी छूट के अनुरोध के साथ उपर्युक्त खंडों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय (एमओएफ) से संपर्क करने का निदेश दिया।

4) फोरम ने सैद्धांतिक रूप से एफओआर और सीईआर, आईआईटी कानपुर के बीच एमओयू के मसौदे को मंजूरी दे दी और निदेश दिया कि सीईआरसी/एफओआर के अध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त करने के उपरांत मसौदे को अंतिम रूप दे दिया जाए।

5) एफओआर ने वर्तमान विद्युत की कमी और 10 प्रतिशत कोयले की मांग को आयात करने की केंद्र सरकार की सलाह के संबंध में यूपीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार–विमर्श किया। फोरम इस बात पर सहमत हुआ कि प्रत्येक एसईआरसी राज्य की विशिष्ट स्थितियों की जांच कर सकता है और आयातित कोयले के मिश्रण के कारण तकनीकी मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए समुचित कार्य कर सकता है।

6) फोरम ने पीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत ''विद्युत के टैरिफ की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का विश्लेषण'' पर किए गए अध्ययन को मंजूरी दी।

7) फोरम ने सीईआरसी में किए जा रहे आईटी हस्तक्षेपों और सीईआरसी में विकसित और तैनात किए गए इन–हाउस आईटी टूल और इससे जुड़े लाभों पर चर्चा की।

8) फोरम ने न्यायालयों और अधिकरणों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के मुद्दे पर भी चर्चा की।

9) फोरम ने ट्राई से प्राप्त संदर्भों पर विचार–विमर्श किया और निम्नानुसार निर्णय लिया:

क) टेलीकॉम नियामक और विद्युत नियामकों के बीच क्रॉस सेक्टोरल सहयोगात्मक विनियमन पर फोरम ने कहा कि मुख्य व्यवसाय के अलावा अन्य आय के लिए वितरण प्रयोज्यताएं और उपभोक्ताओं के बीच राजस्व बंटवारे पर नियम अधिकांश राज्यों में पहले से ही मौजूद हैं और इन नियमों पर एसईआरसी द्वारा विचार किया जा सकता है जिनमें ऐसे नियम नहीं हैं।

ख) वितरण प्रयोज्यता एक बिल एक भुगतान तंत्र के मुद्दे पर ट्राई के सुझाव अलग–अलग पहचाने गए पोल पर स्थापित प्रत्येक टेलीकॉम सेल के लिए जारी मीटर कनेक्शन के सापेक्ष फोरम ने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो टेलीकॉम ऑपरेटरों को व्यक्तिगत रूप से एसईआरसी से संपर्क करना चाहिए।

ग) प्रत्येक दूरसंचार साइट पर विद्युत की खपत को एकत्र करने और अन्य स्थानों पर उत्पन्न हरित विद्युत के साथ ऑफसेट की अनुमति देने के सुझाव तर्कसंगत नहीं हो सकते हैं।

घ) टेलीकॉम ऑपरेटर टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा के लिए एक अलग टैरिफ स्लैब या श्रेणी बनाने के लिए संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

2. एमएस टीम के माध्यम से 27 मई, 2022 को वर्चुअल स्वरूप में आयोजित एफओआर की 80वीं बैठक

बैठक के दौरान फोरम:

1) वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए फोरम के लेखापरीक्षित लेखाओं को अनुमोदित कर उन्हें अंगीकृत किया गया।

2) टैरिफ निर्धारण के लिए समय अवधि पर जेईआरसी जम्मू–कश्मीर और लद्दाख से प्राप्त संदर्भ पर चर्चा की गई जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि एआरआर याचिका की प्रोसेसिंग और उस पर आदेश जारी करने के लिए ली गई 120 दिनों की अवधि को याचिका दाखिल करने तारीख से गिना जाना चाहिए न कि आवेदन की तिथि से। फोरम ने महसूस किया कि अधिनियम में मौजूदा प्रावधानों में इस मुद्दे का ध्यान रखने के लिए उपयुक्त प्रावधान हैं।

3) नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा दिनांक 02.02.2022 के कार्यालयी आदेश के माध्यम से अधिसूचित ''प्रक्रिया का सरलीकरण– छत पर सौर कार्यक्रम फेस–II योजना'' के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर चर्चा की गई। यह पाया गया कि इस मुद्दे को डिस्कॉम द्वारा एमएनआरई के समक्ष भी उठाया गया है।

3. नई दिल्ली में 8 जुलाई, 2022 को आयोजित एफओआर की 81वीं बैठक

बैठक के दौरान फोरम:

1) निर्बाध पहुंच प्रभारों और बैंकिंग प्रभारों की गणना के लिए कार्यप्रणाली पर एक मॉडल विनियमन तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया जैसा विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत

(हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 में अपेक्षित है।

2) एसईआरसी/एमओपी से संबंधित संदर्भों पर चर्चा की गई

क. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022– केईआरसी से संदर्भ। फोरम ने निर्णय लिया कि एसईआरसी अपने मुद्दों की सूचना सीईआरसी को दे सकते हैं और इसके लिए सुझाए गए सूत्रीकरण के साथ विशिष्ट मामलों पर प्रकाश डाल सकते हैं।

ख. एमएचए द्वारा जारी ''प्राथमिकता तालिका'' में अध्यक्ष सीईआरसी/एसईआरसी का उल्लेख न होना– टीईआरसी से संदर्भ। फोरम ने टिप्पणी कि चूंकि मामला एसईआरसी और राज्य सरकारों से संबंधित है, अतः एसईआरसी इस मुद्दे को अपनी संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष उठा सकते हैं।

ग. ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच के अनुदान के लिए सामान्य आवेदन प्रारूप का मसौदा– पीओएसओसीओ से संदर्भ। फोरम ने टिप्पणी कि सामान्य प्रारूप विकसित करने के लिए, पीओएसओसीओ सभी राज्यों के एसएलडीसी के साथ परामर्श कर सकता है और ग्रीन निर्बाध पहुंच के लिए सामान्य प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले उनके इनपुट मांग सकता है। इस प्रकार विकसित प्रारूप फोरम के विचारार्थ लाया जाए।

घ. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न नियमों के संबंध में एसईआरसी द्वारा अनुपालन पर डेटा– एमओपी से संदर्भ। सचिवालय को एक प्रारूप तैयार करने, एसईआरसी से डेटा के लिए अनुरोध करने और उसे विद्युत मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया था।

4. विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 16 सितंबर, 2022 को आयोजित एफओआर की 82वीं बैठक

बैठक के दौरान फोरमः

1) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को प्रस्तुत करने के लिए विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 पर फोर की टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित किया गया।

2) एसईआरसी द्वारा अधिसूचित आपूर्ति कोड में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में एमओपी से प्राप्त संदर्भ के संबंध में, एफओआर ने नवीनतम विकास के आधार पर एफओआर के मौजूदा मॉडल आपूर्ति कोड को अद्यतन करने की गुंजाइश के साथ कार्य समूह का गठन किया।

3) एसईआरसी से संबंधित निम्नलिखित संदर्भों पर चर्चा की गईः

क. राज्य सरकार और एमओपी के बीच एमओए के अनुसार मणिपुर और मिजोरम राज्य सरकार द्वारा जेईआरसी द्वारा आवश्यक धनराशि को पूरा नहीं करना। एफओआर की अभिमत है कि जेईआरसी एमओए के अनुसरण में एक बार फिर विद्युत मंत्रालय/केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठा सकता है।

ख. आरपीओ प्रक्षेपवक्र और ऊर्जा भंडारण दायित्व प्रक्षेपवक्र–एचईआरसी से संदर्भ। एमओपी आदेश दिनांक 22.07.2022 जिसमें 2029–30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा

भंडारण दायित्व प्रक्षेप पथ और एमओपी प्रक्षेप पथ के साथ आरपीओ लक्ष्यों के संरेखण को विनिर्दिष्ट किया।एफओआर ने निर्णय लिया कि एसईआरसी/जेईआरसी इसके कार्यान्वयन के लिए उचित निर्णय लेंगे।

4) ''विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 पर टिप्पणियाँ'' पर एफओआर कार्य समूह की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। फोरम ने एफओआर सचिवालय को यह भी निदेश दिया कि वह निधि/जनशक्ति आदि के माध्यम से फोरम को मजबूत करने और एमओपी से आवश्यक वित्तपोषण की मांग करने के लिए फोरम के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

5) फोरम ने अपनी अगली बैठक के दौरान ''ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनियामक ढांचे'' पर कार्य समूह की रिपोर्ट और फोरम की विशेष बैठक के दौरान ''मॉडल एमवाईटी विनियम'' पर विचार–विमर्श करने का निर्णय लिया।

6) ''निर्बाध पहुंच का उपयोग करके कैप्टिव जेनरेटर से विद्युत के आयात के लिए मॉडल विनियम विकसित करना'' पर कार्य समूह की रिपोर्ट अंगीकृत की गई।

7) ''ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध पहुंच प्रभार और बैंकिंग प्रभार की गणना के लिए पद्धति पर मॉडल विनियम विकसित करना'' पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए, फोरम ने टकराव के क्षेत्रों और मॉडल विनियमों पर एमओपी को भेजे जाने वाले सुझावों को मंजूरी दे दी। फोरम ने पीओएसओसीओ से फोरम की अगली बैठक के दौरान उपभोक्ताओं को ग्रीन निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार किए गए सामान्य आवेदन प्रारूप का मसौदा प्रस्तुत करने का अनुरोध करने का भी निर्णय लिया।

8) फोरम ने सचिवालय को फोरम की मंजूरी के लिए एफओआर की अगली बैठक के दौरान विभिन्न एसईआरसी द्वारा किए गए कार्यों को शामिल करने के उपरांत वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एफओआर का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

5. चंडीगढ़ में 18 नवंबर, 2022 को आयोजित एफओआर की 83वीं बैठक

बैठक का उद्घाटन हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खटटर द्वारा किया गया। बैठक के दौरान फोरमः

1) प्रयास एनर्जी ग्रुप की सिफारिश को नोट किया गया, जिन्होंने ''कर्नाटक में सौर और पवन परियोजनाओं के लिए आरई बैंकिंग और व्हीलिंग व्यवस्था का प्रभाव'' पर अपना पीपीटी में प्रस्तुतिकरण दिया।

2) ऊर्जा भंडारण और विद्युत वाहनों पर कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार–विमर्श किया और कुछ संशोधनों के साथ रिपोर्ट का समर्थन किया।

3) कुछ संशोधनों के साथ आरई कटौती पर कार्य समूह की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई और उसका समर्थन किया गया।

4) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के एक संदर्भ के माध्यम से दिए गए सुझाव नोट किया, जिसमें नियामकों से एपीआई सेटअप प्लेटफॉर्म पर एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई)

प्रकाशित करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया था, जो विभागों को कागज रहित शासन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों को मान्य करने और संग्रहीत करने के लिए ओवरहेड को कम करने में विभाग की मदद करे।

5) विद्युत मंत्रालय के एक संदर्भ के माध्यम से दिए गए जल शक्ति मंत्रालय के सुझाव पर ध्यान दिया गया, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय ने जल कार्यों के टैरिफ को घरेलू टैरिफ के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया है।

6) सचिवालय को यूईआरसी से प्राप्त संदर्भ के अनुसार आयोग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए एमओपी से अतिरिक्त धन की संभावना तलाशने का निदेश दिया गया।

7) सचिवालय को रिटेनरशिप के आधार पर एक सलाहकार की नियुक्ति, आईआईटी और एफओआर के बीच एमओयू के अनुसार आईआईटी–के को शामिल करने, एफओआर को मजबूत करने और एफओआर, एफओआईआर एवं साफिर इत्यादि के कार्यों का प्रबंधन के लिए एक समर्पित अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति सहित विभिन्न कदम उठाने का निदेश दिया।

8) वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एफओआर की वार्षिक रिपोर्ट अंगीकृत किया गया।

9) फोरम की मंजूरी के लिए प्रस्तुत मॉडल एमवाईटी विनियमों पर चर्चा करने के लिए समर्पित बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

6. गांधीनगर, गुजरात में 3 फरवरी, 2023 को आयोजित एफओआर की 84वीं बैठक

बैठक के दौरान फोरमः

1) फोरम के सदस्यों के साथ मॉडल विनियम प्रसारित करने से पहले आयकर से संबंधित पहलू पर पीएसईआरसी के सुझावों के अनुसार मॉडल एमवाईटी विनियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

2) कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों में सह–फायरिंग के माध्यम से बायोमास उपयोग पर विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से प्राप्त संदर्भ को नोट किया गया, जिसमें उन्होंने एसईआरसी द्वारा उचित कार्रवाई के लिए नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों को संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया था।

3) विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 पर एसईआरसीएस को अपने सुझाव/टिप्पणियां सीधे एमओपी को भेजने का सुझाव दिया गया।

4) ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच के लिए प्रभार की गणना की पद्धति पर मॉडल विनियमों के विनियम 8.सी, 10.डी और 10.ई के अंतर्गत संशोधनों पर विचार–विमर्श किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई। एमओपी द्वारा ''विद्युत (हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022'' में पेश किए गए दिनांक 27.1.2023 के संशोधन के कारण मॉडल विनियमों में संशोधन अत्यंत आवश्यक हो गया था।

5) आरपीओ से अधिक आरईएस के स्पष्टीकरण के संबंध में केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के संबंध में डीईआरसी से

प्राप्त संदर्भ पर, जहां यह नोट किया गया था कि अधिनियम के अनुसार आरपीओ प्रवर्तन एसईआरसी की जिम्मेदारी है। सीईआरसी विनियम एक सक्षम प्रावधान हैं, और एसईआरसी किसी भी एजेंसी के माध्यम से प्रमाणीकरण कराने का निर्णय ले सकते हैं।

6) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अंतर्गत मल्टीप्लायर के कार्यान्वयन के माध्यम से सौर और गैर–सौर आरपीओ लक्ष्यों की प्रतिस्थापन क्षमता की अवधारणा नोट की गई। फोरम ने इस विचार का समर्थन किया और सर्वसम्मति से राज्य ईआरसी द्वारा निर्दिष्ट किसी भी आरपीओ को पूरा करने के लिए आरईसी की परिवर्तनशीलता की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। फोरम ने सीईआरसी को आरईसी तंत्र के अंतर्गत आरई स्रोतों के आधार पर भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए उचित गुणक पर विचार करने का भी सुझाव दिया।

7) उत्पादन संयंत्रों और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं पर स्थिति के सत्यापन पर फोर–मॉडल विनियमों पर स्पष्टीकरण के संबंध में हितधारकों और एमओपी से प्राप्त सुझावों पर विचार–विमर्श किया गया।

8) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कोयला आधारित थर्मल उत्पादन इकाइयों का लचीला संचालन), विनियम, 2023 के संबंध में, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन में आरई एकीकरण में सुधार के लिए 40% के न्यूनतम विद्युत स्तर के साथ लचीली संचालन क्षमता होनी चाहिए, फोरम ने निर्णय लिया एफओआर स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी राज्य थर्मल जेनरेटिंग स्टेशनों को ऐसे मानदंड प्रदान करने से संबंधित इन मुद्दों पर गौर कर सकती है और अपनी सिफारिश दे सकती है।

9) ''भारत के 2030 डी–कार्बोनाइजेशन लक्ष्य के लिए रोडमैप'' के संदर्भ में टीईआरआई द्वारा प्रस्तुत सुझाव नोट किये गये जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि विकेंद्रीकृत परियोजनाएं देश को लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगी। फोरम ने यह भी कहा कि विकेंद्रीकृत भंडारण में वृद्धि से पूरे ग्रिड में संसाधन पर्याप्तता में सुधार लाने और आवृत्ति और अन्य पैरामीटर के सापेक्ष स्थिरता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

7. 29–30 अगस्त, 2022 को वर्चुअल स्वरूप में आयोजित आयोजित विशेष बैठक।

1) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे पर चर्चा करते हुए फोरम ने बिंदुवार टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया, जिन्हें मांगे जाने पर ऊर्जा की स्थायी समिति को सूचित किया जाएगा।

2) विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 पर चर्चा करते हुए फोरम ने संशोधन पर विचार–विमर्श करने और व्यापक चर्चा के लिए फोरम को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कार्य समूह का गठन किया गया।

8. 28 अक्टूबर, 2022 को वर्चुअल स्वरूप में आयोजित विशेष बैठक

1) सभी लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाई जाने वाली विश्वसनीयता सूचकांकों की गणना के लिए एकल पद्धति अपनाकर देश भर में एकरूपता लाने के लिए मुख्य अभियंता (वितरण नीति और विनियम) की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के संबंध में सीईए से प्राप्त संदर्भ पर चर्चा करते हुए, फोरम ने निर्णय

लिया इस समिति के लिए एफओआर से किसी भी प्रतिनिधि को नामांकित नहीं किया जा सकता है और सीईए एफओआर को अनुशंसित अंतिम कार्यप्रणाली को अग्रेषित कर सकता है ताकि फोरम सिफारिशों की जांच कर सके और इसे समुचित रूप से अपना सके।

2) पोसोको द्वारा तैयार किए गए हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच नियमों के अनुदान के लिए मसौदा प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए, फोरम ने पोसोको को फोरम की टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर मसौदे को अद्यतन करने और इसे एफओआर के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।

3) फोरम ने ड्राफ्ट मॉडल टैरिफ विनियमों के प्रत्येक खंड पर विचार–विमर्श किया और अपनी अगली बैठक के दौरान चर्चा जारी रखने का निर्णय लिया।

9. 5 दिसंबर, 2022 को वर्चुअल स्वरूप में आयोजित एफओआर की विशेष बैठक

1) बैठक के दौरान, फोरम ने ड्राफ्ट मॉडल एमवाईटी विनियमों पर चर्चा की और उन्हें मंजूरी दी।

2) वर्ष 2022 की सिविल अपील 1933 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23–11–2022 के फैसले पर विचार–विमर्श करते हुए, फोरम ने निर्णय लिया कि संबंधित राज्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में एमवाईटी विनियम तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपील संख्या में एपीटीईएल के दिनांक 14–11–2022 के निर्णय पर चर्चा की गई। वर्ष 2022 का 397 और अपील सं. 2021 के 147 में, फोरम ने निर्णय लिया कि अलग–अलग एसईआरसी पक्षकार के लिए अलग से आवेदन दायर करके कार्यवाही में शामिल होने का निर्णय ले सकते हैं।

FORUM OF REGULATORS (FOR)
79TH MEETING
AY, THE 22ND APRIL, 2022, NEW DELHI
LOKESH DUTT JHA

FORUM OF REGULATORS (FOR)

ख. पूर्ण किये गये अध्ययन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एफओआर द्वारा किए गए अध्ययन और अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर चर्चा इस प्रकार है:

1. ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच के उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध पहुंच प्रभार और बैंकिंग प्रभार की गणना के लिए पद्धति पर मॉडल विनियम विकसित करना

8 जुलाई, 2022 को आयोजित 81वीं बैठक के दौरान कार्य समूह का गठन किया गया था, जिसमें कार्य समूह के कार्यक्षेत्र इस प्रकार था:

1) गीन एनर्जी निर्बाध पहुंच पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार ग्रीन निर्बाध पहुंच के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन और विश्लेषण करना;

2) ग्रीन निर्बाध पहुंच नियमों पर एसईआरसी की टिप्पणियाँ माँगना और उनकी जाँच करना;

3) निर्बाध पहुंच विनियमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में जारी विभिन्न निर्बाध पहुंच प्रभारों का अध्ययन और विश्लेषण करना;

4) नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विभिन्न राज्यों में लागू बैंकिंग प्रभारों का अध्ययन और विश्लेषण करना;

5) वितरण लाइसेंसधारी की विवेकपूर्ण लागत को पूरा करना सुनिश्चित करते हुए हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन निर्बाध पहुंच के अंतर्गत विभिन्न अनुमेय प्रभारों का सुझाव देना;

6) ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच प्रभार और बैंकिंग प्रभार की गणना के लिए पद्धति का सुझाव देना;

7) इस संबंध में मॉडल विनियम तैयार करना।

कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच प्रभार में निम्नलिखित प्रभार शामिल होंगे:

1) अंतः राज्यिक पारेषण प्रभार: इन विनियमों में उपबंधित नियम के अनुसार। इसके अलावा, अंतः राज्यिक पारेषण हानि ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच चाहने वाले उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा।

2) व्हीलिंग चार्ज: इन विनियमों में उपबंधित नियम के अनुसार। इसके अलावा, उचित आयोग द्वारा अनुमोदित व्हीलिंग हानि भी लागू होगी।

3) क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (सीएसएस): ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच चाहने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी पर लागू टैरिफ या औसत बिलिंग दर (एबीआर) के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नियम विनियमों में उपबंधित हैं।

4) अतिरिक्त अधिभार: संबंधित एसईआरसी द्वारा परिभाषित नियमों के अनुसार।

5) **स्टैंडबाय सुविधा और प्रभारः** शून्य के बराबर होना चाहिए (यदि ''डी–1'' दिन पर डीएएम में गेट बंद होने से कम से कम एक दिन पहले स्टैंडबाय व्यवस्था के लिए वितरण लाइसेंसधारी को नोटिस प्रदान किया गया है) या 125 प्रतिशत उपभोक्ता श्रेणी का सामान्य टैरिफ (अन्यथा)।

6) **बैंकिंग सुविधा और प्रभारः** बैंक की गई ऊर्जा के 8 प्रतिशत की दर से समायोजित किया जाना चाहिए और केवल कैलेंडर माह के अनुसार मासिक आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए। ऑफ–पीक टीओडी स्लॉट के दौरान बैंक की गई लेकिन पीक टीओडी स्लॉट के दौरान निकाली गई ऊर्जा पर बैंकिंग प्रभार के साथ अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा। महीने के अंत में अप्रयुक्त अधिशेष बैंक ऊर्जा उस सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की हकदार होगी।

7) **अन्य प्रभारः** में एसएलडीसी/आरएलडीसी प्रभार/प्रभार, शेड्यूलिंग/पुनर्निर्धारण प्रभार, डीएसएम/विचलन प्रभार आदि शामिल किये जा सकते हैं जो ग्रीन एनर्जी निर्बाध पहुंच नियम, 2022 के नियम 9(1)(ड़) के अंतर्गत परिभाषित नहीं हैं।

इस रिपोर्ट को दिनांक 16.9.2022 को आयोजित एफओआर की 82वीं बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

2. निर्बाध पहुंच का उपयोग करने वाले कैप्टिव जेनरेटरों से विद्युत के आयात पर मॉडल विनियम विकसित करना

9 अप्रैल 2021 को आयोजित एफओआर की 74वीं बैठक के दौरान कार्य समूह के नम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ कार्य समूह का गठन किया गया थाः

1) निर्बाध पहुंच के माध्यम से राज्य के भीतर/बाहर स्थित कैप्टिव जनरेटर से बड़े उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के आयात की प्रकृति की जांच करना;

2) कैप्टिव जेनरेटर की स्थिति को सत्यापित करने के लिए जांच करना और कार्यप्रणाली का सुझाव देना;

3) इस संबंध में मॉडल विनियमन की जांच और सिफारिश करना;

4) कार्य समूह दो महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नियामक फोरम का सचिवालय इस कार्य समूह को सचिवालय सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क. **सीजीपी की स्थिति का सत्यापनः** सीजीपी और कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा शपथ पत्र पर प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद राज्य आयोग द्वारा वार्षिक रूप से किया जाएगा।

ख. **उपभोग मानदंड का सत्यापनः** उत्पादन इकाइयों से उत्पादित निवल विद्युत जली और सीजीपी और उसके कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के स्थान के आधार पर सीजीपी से उत्पादन और कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा खपत के आकलन की विधि पर आधारित हो।

ग. **इक्विटी शेयरधारिता मानदंड का सत्यापनः** कैप्टिव उपयोगकर्ता के प्रकार और पूरे वर्ष वोटिंग अधिकार के साथ उनकी इक्विटी शेयर पूंजी पर आधारित हो।

घ. **कैप्टिव उपयोगकर्ता स्थिति को पूरा करने में विफलता का परिणामः** स्वामित्व और उपभोग के मानदंडों को पूरा करने में विफलता, वर्ष के अंत तक, उस वर्ष के लिए कैप्टिव स्थिति को खो देगी जिससे क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त अधिभार और निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं पर यथा लागू ऐसे अन्य प्रभार लगाए जाएंगे।

यह रिपोर्ट राज्य आयोग को सीजीपी और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की स्थिति के सत्यापन के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करती है। एफओआर ने दिनाकं 16.9.2022 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित एफओआर की 82वीं बैठक में कार्य समूह का रिपोर्ट और सिफारिशों को अंगीकृत किया।

3. कटौती के प्रबंधन के लिए मॉडल दिशानिर्देश

17 दिसंबर 2021 को आयोजित एफओआर की 77वीं बैठक के दौरान निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ कार्य समूह का गठन किया गया थाः

1) विभिन्न राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कटौती के संबंध में आईईजीसी और राज्य ग्रिड कोड के प्रावधानों की जांच करना;

2) ग्रिड सुरक्षा के लिए एपीटीईएल निर्णय में निर्धारित मार्गदर्शक कारकों का मूल्यांकन और विश्लेषण;

3) तकनीकी और ग्रिड सुरक्षा आवश्यकता के अलावा अन्य कारणों से नवीकरणीय ऊर्जा कटौती के परिणामों और उस पर मुआवजे की आवश्यकता का आकलन करना;

4) उपरोक्त के आधार पर, भारतीय विद्युत प्रणाली में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादन में कटौती के लिए दिशानिर्देश का सुझाव देना;

5) उपरोक्त से संबंधित और प्रासंगिक कोई अन्य मामला।

कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1) ग्रिड सुरक्षा/संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटर विनिर्दिष्ट करनाः ग्रिड सुरक्षा की परिभाषा को संबंधित राज्य ग्रिड कोड में शामिल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में उन घटनाओं का भी विवरण दिया गया है जिन्हें ग्रिड सुरक्षा से संबंधित कहा जा सकता है

2) निम्नलिखित के मामले में कटौती के लिए प्रोटोकॉलः

क. 50.05 हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी इनकर्सनः (क) हाइड्रो उत्पादन बाधित हाइड्रो उत्पादन परियोजनाओं को छोड़कर (ख) तकनीकी न्यूनतम (55 प्रतिशत) तक थर्मल उत्पादन (ग) डिस्कॉमः आईएसजीएस से मांग को कम करने और मांग में कटौती को वापस लेना, यदि कोई जारी किया गया हो (घ) राज्य को अंतःराज्यिक उत्पादन कार्यक्रम का समर्थन करना (ङ) पीएसएच को पंप मोड में संचालित करने के अधीन करना (च) हाइड्रो उत्पादन को कम करना/बंद करना (छ) आईएसटीएस/आईएनएसटीएस से जुडे पवन /सौर ऊर्जा उत्पादन।

ख. ट्रांसमिशन कंजेशनः निकासी बुनियादी ढांचे पर नियोजित/जबरन कटौती, और किसी भी

ट्रांसमिशन तत्व/निकासी बुनियादी ढांचे की ट्रिपिंग या ओवरलोडिंग से पवनध्सौर उत्पादन में कटौती हो सकती है।

3) **वॉल्यूम सीमा को बनाए रखना (आरई समृद्ध राज्यों के लिए +/- 250 मेगावाट):** एसएलडीसी को विनिर्दिष्ट वॉल्यूम सीमा के भीतर राज्य निकासी को बनाए रखना है।

4) **उत्पादन में हानि के कारण मुआवजा:** रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाशा डाला गया है कि ग्रिड परिचालन सुरक्षा और सुरक्षा स्थितियों के कारण या विद्युत में यथास्थिति विद्युत/ऊर्जा खरीद करार (पीपीए/ईपीए) में यथापरिभाषित या संबंधित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट या 50 घंटा से कम अवधि के लिए ग्रिड या ट्रांसमिशन तत्व की अनुपलब्धता के कारण आरई कटौती के लिए कोई मुआवजा लागू नहीं होगा। हालाँकि, रिपोर्ट में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार उल्लिखित अवधि से परे ग्रिड की अनुपलब्धता या ग्रिड परिचालन मापदंडों और ग्रिड सुरक्षा स्थितियों के अलावा अन्य कारणों से कटौती के निर्देशों के लिए मुआवजा लागू होगा।

यह रिपोर्ट आरई कर्टेलमेंट कार्यान्वयन के तौर–तरीकों (जिसमें प्री–कर्टेलमेंट संचार प्रोटोकॉल, और पोस्ट कर्टेलमेंट संचार प्रोटोकॉल शामिल है) और ग्रिड से जुड़े हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां भी उपबंधित करता है।

एफओआर ने इस रिपोर्ट को अंगीकृत किया और 18 नवंबर 2022 को अपनी 83वीं बैठक में कार्य समूह में संशोधन का सुझाव दिया।

4. ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनियामक ढांचा

कार्य समूह का गठन 1 अक्टूबर 2021 को आयोजित 76वीं बैठक के दौरान निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ किया गया था:

1) विद्युत प्रणाली में ऊर्जा भंडारण के उपयोग के मामलों की जांच करना।

2) ऊर्जा भंडारण के उपयोग पर अंतरराष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन करना विशेष रूप से आरई की उच्च हिस्सेदारी वाली विद्युत प्रणालियों में।

3) बड़े पैमाने पर आरई प्रवेश के मद्देनजर रैंपिंग आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा भंडारण के मूल्य का आकलन करना।

4) भारतीय विद्युत प्रणाली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावित पैठ, ग्रिड पर बढ़े हुए ईवी लोड के प्रभाव और उपभोक्ता टैरिफ पर प्रभाव का अध्ययन करना।

5) उपरोक्त के आधार पर, भारतीय विद्युत प्रणाली में ऊर्जा भंडारण प्रणाली और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त नियामक ढांचे का सुझाव देना।

6) उपरोक्त से संबंधित और प्रासंगिक कोई अन्य मामला।

ईएसएस पर कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1) **ईएसएस की विधिक स्थिति:** स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणाली (आईईएसएस) को एक उत्पादन स्टेशन के बराबर माना जा सकता है।

2) **ईएसएस की परिसंपत्ति श्रेणी (बिजनेस मॉडल):** उपयोग के तरीके के आधार पर ईएसएस का उपयोग स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणाली (आईईएसएस) या वितरण परिसंपत्ति या ट्रांसमिशन परिसंपत्ति के रूप में किया जा सकता है। रिपोर्ट आईईएसएस के लिए तीन संभावित व्यवसाय मॉडल का सुझाव देती है, जो आईईएसएस को चार्ज करने के लिए ऊर्जा की खरीद के अनुबंध की प्रकृति पर आधारित है, यानी इसके स्वामित्व वाले आरई उत्पादन से इनपुट ऊर्जा या ऑफ–पीक के दौरान खरीदार (स्थानीय वितरण लाइसेंसधारी / निर्बाध पहुंच उपभोक्ता) से विद्युत। अवधि और किसी अन्य संस्था के साथ एक समझौता करके चरम अवधि या इनपुट ऊर्जा के दौरान इसे वापस दे दें।

3) **ईएसएस के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच:** जीएनए विनियम ईएसएस के लिए आईएसटीएस तक कनेक्टिविटी और पहुंच और एक उत्पादन स्टेशन के बराबर ईएसएस के उपचार को सक्षम बनाता है। किसी भी अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभार और हानि के भुगतान से छूट ईएसएस तक भी बढ़ाई जाती है।

4) **ईएसएस के लिए टैरिफ निर्धारण:** ईएसएस के लिए दो भाग टैरिफ या कुछ अन्य समान तंत्र के समान तंत्र का विकास

5) **ईएसएस के लिए कर प्रावधान:** रिपोर्ट आरई उत्पादन के बराबर विद्युत प्रभार में छूट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागत घटक के लिए सीमा प्रभार छूट और जीएसटी दर में कटौती का सुझाव देती है।

6) डिस्कॉम नेटवर्क पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन करना

7) ईवी चार्जिंग कनेक्टिविटी मानकों के लिए आपूर्ति कोड में संशोधन और लचीले लोड के रूप में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करने के लिए ग्रिड कोड में संशोधन।

8) डिस्कॉम को संसाधन पर्याप्तता योजनाओं में ईवी से मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा।

9) डीआरई जेनरेशन और स्टोरेज सिस्टम वाले ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विशेष रूप से फास्ट चार्जिंग सुविधाओं के साथ अपने स्वयं के पीक का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा, ओ.ए. के अंतर्गत आरई विद्युत की खरीद के लिए ओए प्रभार (लेकिन नुकसान नहीं) और अधिभार से छूट दी गई है।

10) धीमे चार्जर, जिसकी चार्जर क्षमता स्वीकृत कनेक्टेड लोड से अधिक न हो, का उपयोग घरेलू उपभोक्ता श्रेणी द्वारा किया जाना चाहिए।

11) एसईआरसी द्वारा अलग–अलग श्रेणियों का निर्माण यानी सोसायटी / आरडब्ल्यूए समुदायों के लिए ''एलटी ईवी चार्जिंग स्टेशन'' जो स्वयं का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता स्थापित करते हैं (जिसमें टैरिफ डिस्कॉम के औसत सीओएस के 110 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए) और 'बड़े चार्जिंग स्टेशनों / फास्ट चार्जर्स / बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों' के लिए 'एचटी ईवी चार्जिंग स्टेशन' (एचटी उद्योग टैरिफ से अधिक टैरिफ नहीं)। बीईई को तीन प्रकार के चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए मानक विनिर्देश विकसित करने के लिए कहा जा सकता है।

एफओआर ने 18 नवंबर 2022 को अपनी 83वीं एफओआर बैठक में कार्य समूह की रिपोर्ट और सिफारिशें अंगीकृत की।

ग. क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एफओआर के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक ईआरसी के कर्मियों की क्षमता निर्माण है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में फोरम द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम और अध्ययन दौरे आयोजित किए गए:

1. ब्रूसेल्स और ओस्लो में राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के लिए 10 से 19 जून, 2022 के दौरान यूएसएआईडी/वाशिंगटन के एनर्जी यूटिलिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम (ईयूपीपी) के साथ साझेदारी में भारत सरकार, एसएआरईपी के साथ यूएसएआईडी के द्विपक्षीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी एसोसिएशन (यूएसईए) द्वारा ''फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम'' पर आयोजित अध्ययन

उद्देश्य: अध्ययन दौरे का मुख्य उद्देश्य भारतीय विनियामकों को नियामक वातावरण, रणनीतियों और ऊर्जा बाजारों में वित्तीय डेरिवेटिव के उपयोग पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना और विशेष रूप से नीतिगत ढांचे के माध्यम से ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) का ज्ञान प्राप्त करना था। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास और उपयोग, बैटरी प्रौद्योगिकी की वर्तमान आर्थिक व्यवहार्यता, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और कुशल ग्रिड संचालन के लिए बीईएसएस के उपयोग और लाभों को सक्षम करना है।

वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अध्यक्षों ने विभिन्न एजेंसियों जैसे एसोसिएशन ऑफ पावर एक्सचेंज, काउंसिल ऑफ यूरोपियन एनर्जी रेगुलेटर्स, पावर एक्सचेंज, वित्तीय नियामक, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स और एग्रीगेटर्स आदि के साथ इंटरैक्टिव बैठकें कीं।

अध्ययन दौरे से मिली कुछ विशिष्ट सीखों का सारांश नीचे दिया गया है:

1) यूरोप में विद्युत बाजार का विकास और संबंधित नीति एवं विनियामक सुधार।

2) विद्युत स्पॉट और डेरिवेटिव बाजार की कार्यप्रणाली और विद्युत भौतिक और वित्तीय बाजार में विभिन्न उत्पाद।

3) बाजार में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए निगरानी तंत्र सहित नियामक ढांचे और संस्थागत तंत्र।

4) टीएसओ द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न संतुलन तंत्र सहित आरई पैठ को बढ़ाने के साथ विश्वसनीय ग्रिड संचालन के लिए किए गए उपाय।

5) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में प्रगति और आरई एकीकरण और विद्युत बाजार के संचालन पर इसका प्रभाव।

6) विश्व के सबसे बड़े ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस), उत्पत्ति की गारंटी और स्वीडन और नॉर्वे में टैरिफ और ईएससीआरटी बाजार में फीड करने के लिए कार्बन ऑफसेट से लेकर प्रमुख हरित बाजार और उत्पाद।

2. एनपीटीआई में 03–4 नवंबर, 2022 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हितों की सुरक्षा'' पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे:

1) उपभोक्ता शिक्षा, सशक्तिकरण और वित्त पोषण के लिए उपभोक्ता वकालत और रणनीतियों को संस्थागत बनाना

2) टाटा पावर में उपभोक्ता शिकायत निवारण का अनुभव

3) ग्राहक सेवा प्रथाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप

4) सीजीआरएफ और लोकपाल के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण विधिक मुद्दे

5) उपभोक्ता शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया – एक मॉडल तंत्र

6) उपभोक्ता सशक्तिकरण एवं शिकायत निवारण तंत्र

7) कार्य निष्पादन के मानकों का परिचय और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए नियामक प्रावधानों को सक्षम करना

8) विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं से संबंधित संवैधानिक कानून और ऐतिहासिक निर्णय

3. ब्रूसेल्स और ओस्लो में राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के लिए 3 से 13 नवंबर 2022 के दौरान यूएसएआईडी/वाशिंगटन के एनर्जी यूटिलिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम (ईयूपीपी) के साथ साझेदारी में भारत सरकार, एसएआरईपी के साथ यूएसएआईडी के द्विपक्षीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी एसोसिएशन (यूएसईए) द्वारा ''फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम'' पर आयोजित अध्ययन

उद्देश्य: इस अध्ययन दौरे का मुख्य उद्देश्य भारतीय नियामकों को नियामक वातावरण, रणनीतियों और ऊर्जा बाजारों में वित्तीय डेरिवेटिव के उपयोग पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना और विशेष रूप से नीतिगत ढांचे के माध्यम से ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) का ज्ञान प्राप्त करना था। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास और उपयोग, बैटरी प्रौद्योगिकी की वर्तमान आर्थिक व्यवहार्यता, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और कुशल ग्रिड संचालन के लिए बीईएसएस के उपयोग और लाभों को सक्षम करना है।

वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अध्यक्षों ने विभिन्न एजेंसियों जैसे एसोसिएशन ऑफ पावर एक्सचेंज, काउंसिल ऑफ यूरोपियन एनर्जी रेगुलेटर्स, पावर एक्सचेंज, वित्तीय नियामक, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स और एग्रीगेटर्स आदि के साथ इंटरैक्टिव बैठकें कीं।

कार्यक्रम से प्राप्त कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई है:

1) थोक भौतिक वितरण और ऊर्जा व्युत्पन्न बाजार नॉर्ड पूल को समझना

2) फिजिकल डिलीवरी के लिए नॉर्ड पूल एनर्जी मार्केट के संचालन को समझना

3) वित्तीय ऊर्जा डेरिवेटिव और इसके संचालन के साथ–साथ बाजार से जुड़े जोखिम, विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित

क. कीमत जोखिमः राजनीतिक निर्णय, व्यापक आर्थिक स्थितियाँ, ईंधन की कीमतें (विशेषकर तेल और गैस की कीमतें) कीमत जोखिम में अस्थिरता के प्रमुख कारण हैं।

ख. मौसम जोखिमः प्रतिकूल मौसम की स्थिति नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित कर सकती है जिससे ऊर्जा उत्पादन में अस्थिरता पैदा हो सकती है

ग. क्रेडिट जोखिमः जैसे काउंटर पार्टी जोखिम

ङ अन्य जोखिमः आईटी जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और विधिक जोखिम

4) सीईईआर रणनीति 2022–2025 को समझनाः ''ऊर्जा परिवर्तन के लिए उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना'' जिसमें 6 घटक शामिल हैं।

क. उपभोक्ता केंद्रित डिजाइन

ख. टिकाऊ और कुशल बुनियादी ढाँचा

ग भली भांति चल रहे बाजार

घ. ऊर्जा प्रणाली एकीकरण

ङ लचीलापन और

च विकेंद्रीकृत एवं स्थानीय ऊर्जा।

ये सभी छह तत्व भारतीय संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के एकीकरण के लिए लचीलापन।

5) सहायक सेवा बाजार में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) का उपयोग

यह अध्ययन दौरा भौतिक वितरण और वित्तीय ऊर्जा व्युत्पन्न बाजारों, बीईएसएस के संभावित उपयोग और ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रमुख रणनीति क्षेत्र और कार्बन–तटस्थ समाज में योगदान के लिए यूरोपीय ऊर्जा बाजारों को समझने में बहुत मददगार रहा।

4. 3–4 फरवरी, 2023 के दौरान आईआईटीके नोएडा आउटरीच सेंटर में और 7–9 फरवरी, 2023 के दौरान मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एसईआरसी के अधिकारियों के लिए ''नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और बाजार विकास पर विनियामक परिप्रेक्ष्य'' पर 16वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

कार्यक्रम में शामिल किए गए प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

1) वितरण लाइसेंसधारी के लिए टैरिफ निर्धारण

2) सामान्य नेटवर्क पहुंच और ट्रांसमिशन मूल्य निर्धारण के लिए निहितार्थ

3) भारत में हरित ऊर्जा बाजार और हरित हाइड्रोजन नीति की संभावनाएँ

4) विद्युत अधिनियम संशोधनः विकास और परिप्रेक्ष्य

5) मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम का डिजाइन और कार्यान्वयन

6) भारत में पावर मार्केट डिजाइन – एक परिप्रेक्ष्य

7) ऑस्ट्रेलिया में विद्युत बाजार का विकास और बाजार पर नजर

8) मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम का डिजाइन और कार्यान्वयन

9) वितरण नेटवर्क टैरिफ और कार्य निष्पादन के मानक

10) विद्युत बाजार उत्पाद और जोखिम हेजिंगः ऑस्ट्रेलियाई अनुभव

11) नवीकरणीय विद्युत और ऑफसेट बाजारों का विनियमन

12) ऑस्ट्रेलियाई विद्युत क्षेत्र में विनियामक सुधार और शासन संरचना

13) खुदरा प्रतिस्पर्धा और ग्राहक की पसंदः ऑस्ट्रेलियाई अनुभव

5. आईआईटीके नोएडा आउटरीच सेंटर में 3–4 फरवरी, 2023 के दौरान सीईआरसी और जेईआरसी के अधिकारियों के लिए ''नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और बाजार विकास पर विनियामक परिप्रेक्ष्य'' पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

कार्यक्रम में शामिल किए गए प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

1) वितरण लाइसेंसधारी के लिए टैरिफ निर्धारण

2) सामान्य नेटवर्क पहुंच और ट्रांसमिशन मूल्य निर्धारण के लिए निहितार्थ

3) भारत में हरित ऊर्जा बाजार और हरित हाइड्रोजन नीति की संभावनाएँ

4) विद्युत अधिनियम संशोधनः विकास और परिप्रेक्ष्य

5) मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम का डिजाइन और कार्यान्वयन

6) भारत में पावर मार्केट डिजाइन – एक परिप्रेक्ष्य

3 2022-23 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (सीईआरसी/एसईआरसी/जेईआरसी)

क. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

1. आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप धारा (2) के खंडों (म) के साथ पठित धारा 178 की उप धारा (1) प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सामर्थ्यकारी बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 जारी की थी। इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की मान्यता, पंजीकरण, निर्गम और विनिमय के निबंधन तथा शर्तों के लिए सामर्थ्यकारी विनियामक प्रावधान प्रदान करना है। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ–साथ मान्यता, पंजीकरण और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने पर केन्द्रित हैं। विनियम पावर एक्सचेंजों के अलावा विद्युत व्यापारियों के माध्यम से प्रमाणपत्रों के आदान–प्रदान के दायरे का भी विस्तार करते हैं और नई और उच्च लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रमाणपत्र पेश करते हैं। आयोग ने दिनांक 15.02.2022 को सार्वजनिक नोटिस जारी कर मसौदा अधिसूचना पर सुझाव/टिप्पणियाँ आपत्तियाँ आमंत्रित कीं और दिनांक 30.03.2022 को सार्वजनिक सुनवाई की।

2. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022।

आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178, धारा 40 और धारा 79 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7.6.2022 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 अधिसूचित किया। जीएनए विनियमन के विनियम 1.2 में प्रावधान है कि विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे और विभिन्न विनियमों के प्रारंभ होने के लिए अलग–अलग तारीखें उपदर्शित की जा सकती हैं। आयोग ने दिनांक 9 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 को इस विनियम के कुछ प्रावधानों को छोड़कर जिनके प्रारंभ की तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी दिनांक 15.10.2022 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है।

इन विनियमों के अनुसार, जेनरेटर, ईएसएस, आरई पावर पार्क डेवलपर्स यथास्थिति 50 मेगावाट या 5 मेगावाट की न्यूनतम क्षमता के अधीन आईएसटीएस से कनेक्टिविटी की मांग कर सकते हैं जिसे यह आवंटित किया जाएगा जिसे इस बात पर निर्भर रहते हुए कि कनेक्टिविटी मौजूदा नेटवर्क से प्रदान की जा सकती है या एटीएस की आवश्यकता है, सैद्धांतिक रूप से 30 दिनों/ 60 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। आरईजीएस के मामले को छोड़कर कनेक्टिविटी हस्तांतरणीय नहीं है, परंतु यह कि मूल कंपनी को दी गई कनेक्टिविटी का उपयोग उसकी अनुषंगी कंपनी एवं उसके द्वारा किया जा सकता है।

विनियम में यह भी विनिर्दिष्ट करते हैं कि प्रत्येक राज्य का आईएसटीएस के लिए सामान्य नेटवर्क एक्सेस (जीएनए) होगा। राज्य जीएनए मात्रा के अंतर्गत योग्यता क्रम के अपने मूल्यांकन के आधार पर दीर्घकालिक या मध्यम अवधि या अल्पकालिक संविदाओं के अंतर्गत विद्युत की अनुसूची बनाने में सक्षम होंगे। जीएनए से अधिक विद्युते लेने पर अतिरिक्त प्रभार लगेगा और एक बार प्रदान किया गया जीएनए छोड़ने तक वैध रहेगा। कनेक्टिविटी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कनेक्टिविटी की आरंभ तिथि से कनेक्टिविटी की मात्रा के बराबर जीएनए प्रदान किया गया माना जाएगा। विनियमों में अस्थायी जीएनए की अवधारणा भी शामिल है, जो एक पात्र खरीदार या खरीदार की ओर से एक इकाई को ग्यारह महीने तक के एक ब्लॉक की समयावधि के लिए आईएसटीएस तक खुली पहुंच प्रदान की जाती है। विनियमों के अनुसार, निम्नलिखित संस्थाएँ जीएनए के लिए आवेदन कर सकती हैं:

(i) राज्य पारेषण उपादेयता (वितरण लाइसेंसधारियों सहित अंतर–राज्य संस्थाओं की ओर से) या सहायक विद्युत की निकासी के लिए आईएसटीएस से जुड़ा पारेषण लाइसेंसधारी;

(ii) आईएसटीएस से जुड़ी एक अदाकर्ता इकाई;

(iii) वितरण लाइसेंसधारी या थोक उपभोक्ता, (50 मेगावाट और उससे अधिक भार के साथ);

(iv) विद्युत आदि के सीमा पार व्यापार में लगे ट्रेडिंग लाइसेंसधारी;

3. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों का बंटवारा) (पहला संशोधन) विनियम, 2023

आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 में संशोधन करने के लिए दिनांक 27.1.2023 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया। इस पर टिप्पणियाँ 27.2.2023 तक आमंत्रित की गईं और 13.3.2023 को सार्वजनिक सुनवाई की गई। हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत विनियमों को अंतिम रूप दिया गया और 01.04.2023 को इन्हें जारी कर दिया गया।

मुख्य विशेषताएं:

i) नवीकरणीय विद्युत परियोजना या नवीकरणीय विद्युत पार्क डेवलपर निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ कनेक्टिविटी का आवेदन करेंगे:

क. नवीकरणीय पावर पार्क डेवलपर: जिस क्षमता के लिए कनेक्टिविटी मांगी गई है, उसके लिए अपेक्षित 50 प्रतिशत भूमि के स्वामित्व या पट्टा अधिकार या भू उपयोग अधिकार के प्रमाण के रूप में पंजीकृत स्वत्व विलेख या जिस क्षमता के लिए कनेक्टिविटी मांगी गई है उसके लिए उसके लिए अपेक्षित 50 प्रतिशत भूमि के स्वामित्व या पट्टा अधिकार या भू उपयोग अधिकार के बदले में इन विनियमों के विनियम 11क और 11ख के प्रावधानों के अधीन, 10 लाख रुपये/मेगावाट की बैंक गारंटी।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना – (क) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी या वितरण लाइसेंसधारी या टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के परिणामस्वरूप वितरण लाइसेंसधारी की ओर से प्राधिकृत एजेंसी द्वारा यथास्थिति आदेश प्रदान करने का पत्र (एलओए) या विद्युत खरीद करार

(पीपीए) या (ख) जिस क्षमता के लिए कनेक्टिविटी मांगी गई है, उसके लिए अपेक्षित 50 प्रतिशत भूमि के स्वामित्व या पट्टा अधिकार या भू उपयोग अधिकार के प्रमाण के रूप में रजिस्ट्रकृत स्वत्व विलेखय या (ग) जिस क्षमता के लिए कनेक्टिविटी मांगी गई है उसके लिए उसके लिए अपेक्षित 50 प्रतिशत भूमि के स्वामित्व या पट्टा अधिकार या भू उपयोग अधिकार के बदले में इन विनियमों के विनियम 11क और 11ख के प्रावधानों के अधीन, 10 लाख रुपये/मेगावाट की बैंक गारंटी।

ग. 10 लाख रुपये/मेगावाट की बैंक गारंटी के आधार पर कनेक्टिविटी की इच्छुक संस्थाओं के लिए कनेक्टिविटी के अंतिम अनुदान जारी होने के 180 दिनों के भीतर 50 प्रतिशत भूमि का दस्तावेज जमा करना, ऐसा न करने पर कनेक्टिविटी रद्द कर दी जाएगी और बैंक गारंटी भुना ली जाएगी।

ii) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना या नवीकरणीय ऊर्जा पार्क डेवलपर द्वारा मध्यवर्ती प्रमुख दस्तावेजों को निम्नानुसार प्रस्तुत करनाः

(क) कनेक्टिविटी की अंतिम मंजूरी से 12 महीने के भीतर इक्विटी के माध्यम से परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत जारी करना

(ख)(क) कनेक्टिविटी के अंतिम अनुदान जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करनां, यदि कनेक्टिविटी की आरंभ तिथि कनेक्टिविटी के अंतिम अनुदान जारी होने की तारीख से 2 साल के भीतर है या (ख) कनेक्टिविटी की अंतिम अनुदान जारी करने और कनेक्टिविटी की आरंभ तिथि के बीच 50 प्रतिशत की समयावधि के के बराबर अवधि, यदि कनेक्टिविटी की आरंभ तिथि कनेक्टिविटी की अंतिम अनुदान जारी करने की तारीख से 2 वर्ष से अधिक है।

(ग) एससीओडी द्वारा सीओडी प्राप्त करना (जैसा कि आरईआईए द्वारा प्रदान किया गया है) या एससीओडी से 6 महीने के भीतर (भूमि आधारित परियोजनाओं के लिए)।

(घ) निर्धारित समय सीमा के भीतर वित्तीय समापन या सीओडी की गैर–घोषणा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में कनेक्टिविटी को रद्द करना और कनेक्टिविटी की बैंक गारंटी का नकदीकरण।

iii) अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से आईएसजीएस से सीधे निकासी की मात्रा विनिर्दिष्ट पद्धति के आधार पर बाहर रखी जाएगी। केवल आरई संसाधनों से विद्युत आहरित करने के लिए जीएनएआरई और टी–जीएनएआरई के लिए आवेदन करने की पात्रता शुरू की गई है।

iv) जीएनएआरई वाली कोई इकाई जीएनए या टी–जीएनए प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार, टी–जीएनएआरई वाली इकाई जीएनए या टी–जीएनए प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। हालांकि, वह अपने जीएनएआरई को यथास्थिति जीएनए या टी–जीएनएआरई टी–जीएनए में परिवर्तित कर सकती हैं। कोई इकाई जो जीएनए या टी–जीएनए अनुदान प्राप्तकर्ता है, वह जीएनए या टी–जीएनए प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। ऐसी इकाई अतिरिक्त निकासी की मांग के लिए अतिरिक्त जीएनए या टी–जीएनए की मांग कर सकती है।

v) जीएनए को त्यागने के लिए लागू प्रभार में संशोधन कर 24 महीने के स्थान पर 18 महीने का समय दिया गया।

4. ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश, 2022

आयोग ने 15 फरवरी, 2021 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार विनियम) 2021 अधिसूचित किया जो 15 अगस्त, 2021 से लागू हुआ। पीएमआर 2021 का भाग–6 ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म से संबंधित प्रावधानों को विनिर्दिष्ट करता है। पीएमआर 2021 के विनियम 44 के खंड (1) में आयोग को ओटीसी प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित करना अपेक्षित है।

पीएमआर 2021 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, आयोग ने ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए।

5. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के संव्यवहार के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2022

ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण नियम, 2012 (प्रमुख नियम) में और संशोधन करने के लिए दिनांकः 30.08.2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किया, जिसमें इसमें ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (एसकर्ट्स) के लिए आधार कीमत की परिभाषा एवं आधार कीमत के लिए विनिर्देशन शामिल की गई हैं। तदनुसार, बीईई ने सीईआरसी से ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने और तय करने के लिए सीईआरसी (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में संव्यवहार के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2016 में उचित रूप से संशोधित/आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया था। उपरोक्त के दृष्टिगत मसौदा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों से संव्यवहार के लिए निबंध और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 और व्याख्यात्मक ज्ञापन सीईआरसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना के साथ टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे। उपरोक्त ड्राफ्ट विनियमों पर हितधारकों और इच्छुक व्यक्तियों से 2 नवंबर 2022 तक भेजा जाना है।

विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के उपरांत, अंतिम संशोधित ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र के लिए विनियम और विनियमों के कारणों का विवरण 7 दिसंबर 2022 को अधिसूचित किया गया था। संशोधित विनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा के बराबर 1 मीट्रिक टन तेल की कीमत के 10 प्रतिशत पर न्यूनतम मूल्य (न्यूनतम मूल्य जिस पर ईएससीर्ट्स का पावर एक्सचेंज पर कारोबार किया जाएगा) निर्दिष्ट करता है।

ख. राज्य विद्युत नियामक आयोग

1. असम विद्युत नियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता, विद्युत लोकपाल, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण, और आरपीओ और इसके अनुपालन से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध – I** में प्रदान किया गया है।

आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया कि पहले भरी गई सभी याचिकाओं (टैरिफ याचिकाओं सहित) का निपटारा समय–सीमा में किया जाए। इस प्रकार, मार्च, 2023 के अंत तक आयोग के पास कोई मामला लंबित नहीं था।

2. आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने विद्युत की व्हीलिंग और खुदरा बिक्री, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता सहायता, व्यवसाय का संचालन, खरीद आरई/आरईसी द्वारा अनुपालन, भर्ती, नियंत्रण और कर्मचारियों की सेवा शर्तें से संबंधित विनियमों में संशोधन, प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

3. बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बिहार विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 जारी किया। आयोग ने बीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें), विनियम, 2020 के अंतर्गत कार्यवाही पर स्वतः संज्ञान आदेश भी जारी किया।

4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने आरई, आरपीओ और आरईसी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग, संयंत्र आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए उत्पादन प्रभार और संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण और आपूर्ति संहिता से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

5. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने कारोबार योजना, टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें, नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए जैसा कि **अनुबंध– I** में दिया गया है।

आयोग ने दिनांक 7/03/2023 के आदेश द्वारा नरेला–बवाना में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए 7.38 रुपये /किलोवाट घंटा के टैरिफ को भी मंजूरी दी।

6. गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद और नेट मीटरिंग रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम से संबंधित विनियम प्रतिपादित/संशोधित किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

7. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, आरई स्रोतों, आरपीओ और आरईसी से टैरिफ के निर्धारण के लिए नियमं और शर्तें से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

8. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गए महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

9. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्रशासित प्रदेश)

वर्ष के दौरान आयोग ने अंतःराज्यिक पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

10. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

वर्ष के दौरान आयोग ने ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मीटरिंग, विद्युत आपूर्ति संहिता, नवीकरणीय खरीद दायित्व और इसके अनुपालन से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

11. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू कश्मीर और लद्दाख)

वर्ष के दौरान आयोग ने फीस, अर्थदंड और प्रभार, विद्युत आपूर्ति संहिता, प्रक्रिया, ट्रांसमिशन और वितरण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए नियम और शर्तों और उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

12. कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत की आपूर्ति की शर्तों, नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद, विद्युत की आपूर्ति से संबंधित उपभोक्ताओं के अधिकार, प्रदर्शन के मानक और संबद्ध मामलों, ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन, कर्नाटक विद्युत ग्रिड संहिता, नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

13. केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने मौजूदा वितरण लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंस की शर्तों और नवीकरणीय ऊर्जा और नेट मीटरिंग से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान आयोग ने वितरण के विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसंपत्तियों और लागत के आवंटन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

14. महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा और नेट मीटरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और नेट मीटरिंग, पूंजी निवेश योजनाओं की मंजूरी से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

15. मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने आपूर्ति, ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित मामलों, ट्रांसमिशन प्रदर्शन मानकों, सह–उत्पादन और विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विद्युत लाइन या संयंत्र प्रदान करने के लिए व्यय और अन्य प्रभारों की वसूली, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से, मध्य प्रदेश में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें, उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें, और ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें , विद्युत खरीद और खरीद प्रक्रिया, हरित ऊर्जा और निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध पहुंच प्रभार और बैंकिंग प्रभार के निर्धारण के लिए पद्धति, विद्युत की आपूर्ति और व्हीलिंग के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें और प्रभार निर्धारण के तरीके और सिद्धांत से संबंधित नियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध–I** में प्रदान किया गया है।

16. मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन के लिए टैरिफ के निर्धारण, उपभोक्ता शिकायतों और विद्युत लोकपाल के निवारण, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों और इसके अनुपालन, दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के लिए डिस्कॉम परिसंपत्ति से किराये/पट्टे पर देने के लिए निबंधन और शर्तों से संबंधित नियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध–I** में प्रदान किया गया है।

17. नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

18. ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें जारी कीं और ओडिशा के चार डिस्कॉम के लिए 1479.64 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

19. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण, कैप्टिव विद्युत उत्पादन का उपयोग, नवीकरणीय खरीद दायित्व और उसके अनुपालन, विद्युत की गुणवत्ता, विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामलों और संबंधित विनियमों में संशोधन के लिए निबंधन और शर्तें जारी कीं। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में प्रदान किया गया है।

20. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने टैरिफ विनियमों के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तों से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

21. सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और उसके अनुपालन, आरईसी तंत्र के लिए नवीकरणीय उत्पादन परियोजना के प्रत्यायन की प्रक्रिया, हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच की निबंधन और शर्तों से संबंधित विनियमों में दूसरा संशोधन जारी किया। आयोग ने एसएलडीसी को आरईसी तंत्र के लिए हरित ऊर्जा से संबंधित नवीकरणीय परियोजनाओं के मामलों की मान्यता और आरपीओ की निगरानी के लिए राज्य एजेंसी के रूप में भी अधिसूचित किया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आयोग ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2021 की धारा 26 के अंतर्गत निर्णय के प्रयोजनार्थ निर्णय अधिकारी को भी नामित किया। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

22. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने याचिका प्रभार, लाइसेंस प्रभार और अन्य प्रभार विनियमन 2016, विद्युत आपूर्ति संहिता, समूह नेट मीटरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग, बहुवर्षीय वितरण टैरिफ, हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच प्रभार के निर्धारण की कार्यप्रणाली से संबंधित विविध प्रावधानों से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

23. तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

24. तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने डीएसएम, नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद द्वारा अनुपालन/नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र, भर्ती की विधि और अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें, विद्युत की व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण के निबंधन और शर्तों से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

25. उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने टैरिफ निर्धारण के तौर–तरीकों, उत्पादन टैरिफ के निबंधन और शर्तों, उत्पादन संयंत्रों और कैप्टिव उपभोक्ताओं के सत्यापन, दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम सकल/निवल मीटिरिंग से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान, आयोग ने ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीयर–टू–पीयर सौर ऊर्जा लेनदेन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

26. उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ, राज्य ग्रिड संहिता, कार्य निष्पादन के मानक, डीएसएम, टैरिफ और अन्य शर्तों के निर्धारण के निबंधन और शर्तों से संबंधित नियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

27. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान आयोग ने टैरिफ, निर्बाध पहुंच के नियमों और शर्तों से संबंधित विनियमों में संशोधन प्रतिपादित/जारी किए।

वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और वर्ष के दौरान जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

4 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर स्थिति रिपोर्ट

राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति सभी को समान, सस्ती और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने, विद्युत के विक्रेता और व्यापारी के विरुद्ध उपभोक्ता के अधिकार की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के सतत विकास पर बल देती है। एफओआर के सभी क्रियाकलाप इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। यह एफओआर के परिभाषित उद्देश्यों में से एक ''उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और विद्युत क्षेत्र में दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना'' से भी स्पष्ट होता है।

फोरम द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई क्रियाकलापों का विवरण इस प्रकार है:

1) एफओआर ने अपनी 79वीं बैठक के दौरान, वर्तमान विद्युत की कमी और 10 प्रतिशत कोयले की आवश्यकता को आयात करने की केंद्र सरकार की सलाह के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया, जिसके लिए यूपीईआरसी से संदर्भ प्राप्त हुआ था। फोरम ने कहा कि आयातित कोयले के साथ घरेलू कोयले के मिश्रण में विद्युत संयंत्रों को कई तकनीकी मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फोरम द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्रत्येक एसईआरसी राज्य की विशिष्ट स्थितियों की जांच कर सकता है और आयातित कोयले के मिश्रण के कारण तकनीकी मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उचित कार्य कर सकता है।

2) बैठक के दौरान फोरम ने ''विद्युत दरों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का विश्लेषण'' अध्ययन पर भी विचार–विमर्श किया और सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। यह अध्ययन रिपोर्ट सलाहकारों, एबीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी और केपीएमजी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसके लिए विद्युत क्षेत्र सुधार (पीएसआर) कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई थी। फोरम ने कहा कि अध्ययन के लिए विचार किए गए राज्यों के लिए टैरिफ के ऐतिहासिक रुझानों की बेहतर समझ के लिए, एबीआर/एसीओएस अनुपात को इस रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

3) 80वीं बैठक के दौरान, फोरम को ईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 में विनिर्दिष्ट 120 दिनों की अवधि के संबंध में जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए जेईआरसी से प्राप्त संदर्भ के बारे में सूचित किया गया था। फोरम ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विचार–विमर्श किया और पाया कि अधिनियम की धारा 64(1) का मौजूदा प्रावधान पहले से ही नियामकों को ''तरीके'' को विनिर्दिष्ट करने के लिए व्यापक आयाम प्रदान करता है जिसमें टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन किया जाना है।

4) फोरम ने बैठक के दौरान, एमएनआरई द्वारा दिनांक 02.02.2022 के ओएम के माध्यम से अधिसूचित ''प्रक्रिया का सरलीकरण– रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज–।। योजना'' के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर भी विचार–विमर्श किया। फोरम ने विचार–विमर्श के उपरांत सुझाव दिया कि नेट मीटरिंग के लिए 500 किलोवाट का कट–ऑफ प्रदान करने वाले एमएनआरई नियम केवल वहीं लागू होंगे जहां किसी राज्य के

नियम उस कट–ऑफ के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। हालाँकि, उन राज्यों में जहां राज्य के विनियमों ने सौर छत संयंत्रों को नेट मीटिंग के लिए विचार करने के लिए एक कट–ऑफ प्रदान किया है, वहां मौजूदा विनियमों को बदलने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

5) फोरम ने 81वीं बैठक के दौरान, सीईआरसी आरईसी विनियमन, 2022 के विनियमन 10 (3) को लागू करने में कठिनाइयों के संबंध में कर्नाटक ईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर चर्चा की, जिसमें वितरण लाइसेंसधारियों को आरपीओ अनुपालन से ऊपर आरई की अतिरिक्त खरीद के बारे में संबंधित एसईआरसी से प्रमाणीकरण के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है। फोरम ने सिफारिश की कि सीईआरसी इस संबंध में सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया जाए और एसईआरसी से प्राप्त संचार के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि स्थानीय वितरण लाइसेंसधारी के साथ एपीपीसी अनुबंध के तहत एक आरई जनरेटर भी आरईसी के तहत पात्र होगा, जब तक कि ऐसी संविदा के अंतर्गत बेची गई विद्युत संबंधित बाध्यकारी इकाई आरपीओ अनुपालन के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि एसईआरसी के पास बाध्यकारी संस्थाओं द्वारा खरीद या खपत को प्रमाणित करने और आरपीओ से अधिक आरई विद्युत की अतिरिक्त खरीद के लिए बाध्यकारी इकाई की पात्रता विनिश्चित करने की शक्ति है।

6) फोरम ने अपनीी 82वीं बैठक के दौरान विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 पर फोरम की विशेष बैठक के निष्कर्षों और विशेष बैठक के उपरांत विभिन्न एसईआरसी से प्राप्त सुझावों पर गहनतापूर्वक चर्चा की। गहन विचार–विमर्श के उपरांत, फोरम ने स्थायी समिति से अनुरोध प्राप्त होने पर स्थायी समिति के साथ साझा करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी।

7) फोरम को सूचित किया गया कि विद्युत (हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 के नियम 12 के अनुसार, निर्बाध पहुंच प्रभार और बैंकिंग प्रभार की गणना के लिए कार्यप्रणाली पर मॉडल नियम तैयार करना अनिवार्य था। इस मुद्दे पर तैयार किए गए मॉडल विनियमन को टैरिफ नीति और विद्युत अधिनियम के साथ नियमों में कुछ विरोधाभासों के साथ फोरम के समक्ष मंजूरी के लिए रखा गया था। चर्चा के उपरांत, फोरम ने कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए मॉडल विनियमों को मंजूरी दे दी और चिन्हित टकरावों के क्षेत्रों के साथ तैयार किए गए मॉडल विनियमों को मंत्रालय के साथ साझा करने का निर्णय लिया।

8) फोरम ने अपने कार्य समूह द्वारा प्रस्तुत विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 पर टिप्पणियों पर भी विचार–विमर्श किया। फोरम ने केंद्रीय पूल के लिए समान आरई टैरिफ के कार्यान्वयन पर नियम 19 के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। केंद्रीय पूल ने मसौदा नियमों में प्रस्तावित किया है, जिसमें किसी भी नई आरई परियोजना के शामिल होने के कारण गतिशील मासिक टैरिफ अस्तित्व में आएगा, जिससे उपादेयताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले अलग–अलग मासिक टैरिफ के कारण उपयुक्त आयोग द्वारा संबंधित वितरण कंपनियों के एआरआर को मंजूरी देने पर असर पड़ेगा। गहन चर्चा के उपरांत, फोरम ने टिप्पणियों को मंत्रालय के साथ साझा करने की मंजूरी दे दी।

9) फोरम ने कार्य समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ''निर्बाध पहुंच का उपयोग करके कैप्टिव उत्पादकर्ता से विद्युत के आयात के लिए मॉडल विनियम विकसित करना'' पर भी विचार–विमर्श किया। फोरम ने उपभोग और इक्विटी मानदंडों के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों पर चर्चा की, जिसमें कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्ग

जैसे साझेदारी, कंपनी, एसपीवी, व्यक्तियों का संघ आदि शामिल हैं और कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए मॉडल दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई।

10) विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22.07.2022 के आदेश पर एचईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर, जिसमें 2029–30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व प्रक्षेप पथ और एमओपी प्रक्षेप पथ के साथ आरपीओ लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया था, फोरम ने पाया कि धारा 86 के अनुसार (1)(ड़) विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, यह राज्य आयोग का कार्य है कि वह अपने राज्य में बाध्यकारी संस्थाओं द्वारा पूरा किए जाने वाले आरपीओ का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करे।

11) फोरम ने अपनी 83वीं बैठक के दौरान, ऊर्जा भंडारण और विद्युत वाहनों पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की। फोरम ने इस बात की सराहना की कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए डिस्कॉम की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फोरम ने रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करने का सुझाव दिया कि चार्जर की क्षमता घरेलू उपभोक्ता के स्वीकृत कनेक्टेड लोड से अधिक नहीं हो। रिपोर्ट में ''ग्रीन चार्जिंग स्टेशन'' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आरई स्रोतों से 100 प्रतिशत खरीद को शामिल करने का भी सुझाव दिया गया था। इन बदलावों के साथ फोरम ने कार्य समूह की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। आरई कर्टेलमेंट पर कार्य समूह की रिपोर्ट भी फोरम की मंजूरी के लिए पेश की गई थी। फोरम ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ इस रिपोर्ट को मंजूरी दी:

1) कि किसी राज्य द्वारा लगातार दो से अधिक समय खंडों के लिए राज्य–परिधि पर 300 मेगावाट से अधिक की कम निकासी की घटना, भले ही आवृत्ति 49.90 हर्ट्ज से 50.05 हर्ट्ज के बीच हो, को ग्रिड सुरक्षा कारण के रूप में आरई कटौती की गारंटी के रूप में माना जाए।

2) कि गैर–ग्रिड–सुरक्षा कारणों से आरई कटौती की स्थिति में मुआवजा वितरण कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा और भुगतान किए गए ऐसे मुआवजे को टैरिफ के अंतर्गत आने के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

3) चूंकि पवन और सौर क्षेत्र अब परिपक्व हो गया है, इसलिए प्रतिशत में विचलन की गणना के लिए विशेष छूट (अनुसूचित उत्पादन के बजाय उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के संदर्भ में) की आवश्यकता नहीं है।

12) फोरम ने वितरण कंपनियों को देय शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के बकाया विद्युत देयों के संबंध में विद्युत मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ पर भी चर्चा की। जल शक्ति मंत्रालय ने जल कार्य कनेक्शनों के लिए लागू टैरिफ श्रेणी का मुद्दा उठाया है, जिन पर ऐसे उपादेयता कनेक्शनों के लिए वाणिज्यिक टैरिफ लगाया जा रहा है और सुझाव दिया है कि ईआरसी जल कार्य कनेक्शनों के लिए घरेलू श्रेणी के बराबर रियायती टैरिफ पर विचार कर सकते हैं। फोरम ने जल शक्ति मंत्रालय के सुझावों नोट किया।

13) फोरम ने अपनी 84वीं बैठक के दौरान, आरपीओ की परिवर्तनशीलता की अवधारणा पर चर्चा की और सुझाव दिया कि सीईआरसी आरईसी तंत्र के अंतर्गत आरई स्रोतों के आधार पर भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए उपयुक्त गुणक पर विचार कर सकता है। फोरम ने राज्य ईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी आरपीओ को पूरा करने के लिए आरईसी की प्रतिस्थापना की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की और निर्णय लिया कि बाध्य इकाई आरईसी विनियम, 2022 के अनुसार आरईसी प्रमाण पत्र प्राप्त करके आरपीओ की किसी भी श्रेणी को पूरा कर सकती है।

14) बैठक के दौरान फोरम को आरई एकीकरण के लिए लचीली थर्मल जेनरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अवगत कराया गया कि सीईआरसी ने पहले ही अंतर–राज्यीय उत्पादन स्टेशनों के लिए तकनीकी न्यूनतम 55 प्रतिशत प्रदान करने के लिए रूपरेखा प्रदान की है। यह भी बताया गया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने हाल ही में सीईए (कोयला आधारित थर्मल जेनरेटिंग इकाइयों का लचीला संचालन), विनियम, 2023 भी जारी किया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन में न्यूनतम विद्युत स्तर 40 प्रतिशत के साथ लचीली संचालन क्षमता होनी चाहिए। फोरम ने सुझाव दिया कि राज्य थर्मल उत्पादन स्टेशनों को ऐसे मानदंड प्रदान करने की तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किसी भी रेट्रोफिटिंग या इसके लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय के लागत लाभ विश्लेषण के साथ करने की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि एफओआर की स्थायी तकनीकी समिति इन चर्चा किए गए पहलुओं पर विस्तार से गौर करे और एफओआर को अपनी सिफारिशें दे।

15) फोरम ने कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों में सह–फायरिंग के माध्यम से बायोमास उपयोग पर विद्युत मंत्रालय से प्राप्त एक संदर्भ पर भी चर्चा की। यह बताया गया कि सीईआरसी ने पहले ही सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 में थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास को मिश्रित करने और लागत की वसूली के तरीके का प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा, सीईआरसी ने अपने स्वतं संज्ञान वाले आदेश सं. 12/एसएम/2019 दिनांक 18.02.2020 में बायोमास सह–संचालित कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास से उत्पन्न विद्युत के आकलन के लिए विस्तृत पद्धति का वर्णन किया गया है। फोरम ने इसे संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा उचित कार्रवाई के लिए नोट किया।

टैरिफ नीति और राष्ट्रीय विद्युत नीति में रेखांकित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोरम सदस्य ईआरसी की उपलब्धियां इस रिपोर्ट में नीचे दी गई हैं:

1) वित्त वर्ष 2022–23 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (अनुबंध –II)

2) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समय–सीमा (अनुबंध – III)

3) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल का कामकाज (अनुबंध – IV)

5 केविविआ/एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची

विनियामक फोरम के सदस्य (31 मार्च, 2022 की स्थिति)

विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
01.	श्री जिष्णु बरुआ	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
विनियामक फोरम के सदस्य		
02.	न्यायमूर्ति (श्री) सी.वी. नागार्जुन रेड्डी	आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी)
03.	रिक्त	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एपीएसईआरसी)
04.	श्री कुमार संजय कृष्ण	असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी)
05.	श्री शिशिर सिन्हा	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)
06.	श्री हेमन्त वर्मा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीएसईआरसी)
07.	रिक्त	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी)
08.	श्री अनिल मुकीम	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी)
09.	श्री आर.के. पचनन्दा	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)
10.	श्री डी.के. शर्मा	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एचपीईआरसी)
11.	न्यायमूर्ति (श्री) अमिताव कुमार गुप्ता	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी)
12.	श्री आलोक टंडन	गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
13.	श्री लोकेश दत्त झा	जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
14.	श्री लालचारलियाना पचुआऊ	मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम के लिए जेईआरसी)
15.	श्री पी. रवि कुमार	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी)
16.	श्री टी.के. जोस	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी)
17.	श्री एस.पी.एस. परिहार	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी)
18.	श्री संजय कुमार	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी)
19.	श्री पी.डब्लू. इंगटी	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी)
20.	श्री खोसे सेल	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग (एनईआरसी)

21.	श्री सुरेश चंद्र महापात्र	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी)
22.	श्री विश्वजीत खन्ना	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी)
23.	डॉ. बी.एन. शर्मा	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)
24.	श्री के.बी. कुंवर	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसएसईआरसी)
25.	श्री एम. चन्द्रशेखर	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी)
26.	श्री टी. श्रीरंगा राव	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टीएसईआरसी)
27.	श्री डी. राधाकृष्ण	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (टीईआरसी)
28.	श्री राज प्रताप सिंह	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी)
29.	श्री डी.पी. गैरोला (अध्यक्ष प्रभारी)	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (यूईआरसी)
30.	डॉ. एम.वी. राव	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी)

6 एफओआर का वार्षिक लेखा

V.K KHOSLA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

316-318 ,A-6, IInd Floor, LSC
DDA Market, Paschim Vihar
New Delhi-110063
Phones : 9313905949,9810268150
Email: amit@vkkhoslaco.com

सेवा में,
सचिव,
विनियामक फोरम,
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली - 110001.

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सेवाओं (क्षमता निर्माण एवं परामर्श सेवाओं के लिए) के लिए वर्ष के दौरान विनियामक फोरम द्वारा विद्युत मंत्रालय से प्राप्त रु. 46.26 लाख की वित्तीय सहायता की राशि में से रु. 60,748.33 की शेष अव्ययित निधियां, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आगे ले जाई गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया है:

क) **31 मार्च, 2023** की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलनपत्र के मामले में और
ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः **002283एन**

(मनीष गांधी)
साझेदार
सदस्यता सं.: **563880**
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः **26 जून, 2023**
यूडीआईएनः 23563801BGSGSC4740

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि - रु. में)

कोरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूंजी निधि	1	**3,70,10,643**	3,70,10,643
रिज़र्व एवं अधिशेष	2	**3,79,26,117**	5,80,83,775
निश्चित की गई/ बंदोबस्त निधियां	3	**(146)**	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	**60,87,211**	1,06,21,107
कुल		**8,10,23,825**	10,57,15,525
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	**2,29,577**	1,52,583
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	**8,07,94,248**	10,55,62,942
कुल		**8,10,23,825**	10,57,15,525
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं.563880

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि - रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
फीस/अंशदान	7	**30,00,000**	1,20,00,000
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	**32,15,444**	4,89,022
अर्जित ब्याज	8	**45,21,707**	37,98,520
अन्य आय		**-**	57,000
कुल (क)		**1,07,37,151**	1,66,18,933
व्यय			
स्थापना व्यय	10	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	**3,01,10,650**	93,70,782
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय) :	3		
(क) क्षमता निर्माण		**32,15,444**	4,89,022
(ख) परामर्शदाता सेवाएं		**-**	-
मूल्यह्रास (अनुसूची 5 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल कुल)		**1,07,355**	47,989
पूर्व अवधि व्यय		-	-
कुल (ख)		**3,34,33,449**	99,07,793
आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क-ख)		**(2,26,96,298)**	64,36,749
कर के लिए प्रावधान (चालू वर्ष)		-	19,94,593
कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)		-	-
सामान्य रिज़र्व को/से अंतरण		**(2,26,96,298)**	44,42,156
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में ले जाया गया		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं.563880

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनियामक फ़ोरम

31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 1 - कोरपस/पूंजीगत निधि		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष		3,70,10,643		3,70,10,643
जोड़: कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	-		-	
जोड़/(घटा):आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष		3,70,10,643		3,70,10,643

अनुसूची 2 -रिज़र्व एवं अधिशेषः		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष
1. रिज़र्व पूंजीः				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पूनर्मूल्यन रिज़र्वः				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार	5,80,83,775		5,24,97,125	
घटाः वर्ष के दौरान काटना	(2,26,96,298)		44,42,156	
जमाः वर्ष के दौरान जोड़ना	25,38,641	3,79,26,117	11,44,494	5,80,83,775
(अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर के लिए उपबंध))				
कुल		3,79,26,117		5,80,83,775

इससे संवद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002283एन

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं. 563880

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

	निधि-वार ब्रेक-अप		
अनुसूची 3 - निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियां	योजना निधि		पूर्ववर्ती वर्ष
क) निधियों का आरंभिक शेष		-	-
ख) निधियों में परिवर्धनः			
i. दान/अनुदान	46,26,000		
ii. निधियों से किए गए निवेशों से ब्याज	36,132	46,62,132	12,11,817
iii. राज्य ऐजेंसियों से प्राप्त रिफंड			
कुल (क+ख)		46,62,132	12,11,817
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय			
i. पूंजीगत व्यय			
- नियत आस्तियां	-		
- अन्य	-	-	-
कुल (i)		-	-
ii. राजस्व व्यय			
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	-		
- किराया	-		
- अन्य प्रशासनिक खर्चे	32,15,444	32,15,444	4,89,022
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता (ब्याज सहित)		14,46,834	7,22,795
कुल (ii + iii)		46,62,278	12,11,817
कुल (ग) = (i + ii + iii)		46,62,278	12,11,817
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		(146)	-

नोट

1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर संगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

V. K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं. 563880

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनिपामक फोरम

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
अनुसूची 4 - चालू देयताएं और प्रावधान				
क - चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध ऋणदाता :				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याज:				
क) जमानती ऋण/उधार	-		-	
ख) गैर-जमानती ऋण/उधार	-	-	-	-
5. सांविधिक देयताएं :				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
6. अन्य चालू देयताएं		-		-
कुल (क)		-		-
ख - प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
(i) पूर्ववर्ती वर्ष	50,73,620		56,17,668	
(ii) चालू वर्ष	-		19,94,593	
		50,73,620		76,12,261
2. ग्रेचुअटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		-		-
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-		-
6. अन्य:				
(i) प्रतिदेय लेखापरीक्षआ फीस	25,000		25,000	
(ii) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	2,96,731		2,81,256	
(iii) प्रतिदेय बैठक व्यय	-		20,20,830	
(iv) प्रतिदेय कार्यालय व्यय	174		774	
(v) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि) व्यय	28,000		25,800	
(vi) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय	59,296		-	
(vii) प्रतिदेय अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की निधि)	-		4,45,500	
(viii) प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय (फोरम की निधि)	-		-	-
(ix) संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	12,071		11,390	
(x) व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस	4,90,783		1,68,400	
(xi) विज्ञापन पर प्रतिदेय टीडीएस	-		906	
(xii) सीजीएसटी+एसजीएसटी+आईजीएसटी पर प्रतिदेय टीडीएस	1,01,536		28,990	
(xiii) प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	-		-	
(xiv) प्रतिदेय वेबसाइट व्यय	-	10,13,591	-	30,08,846
कुल (ख)		**60,87,211**		1,06,21,107
कुल (क) + (ख)		60,87,211		1,06,21,107

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं. 563880

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 5 - अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. अचल आस्तियां											
1. भूमि:											
क) पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:											
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र और मशीनरी और उपस्कर	52,023	-	-	52,023	38,318	2,056	-	-	40,374	11,649	13,705
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. कार्यालय उपस्कर	25,840	-	-	25,840	20,293	832	-	-	21,125	4,715	5,547
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	8,69,641	1,84,349	-	10,53,990	7,36,310	1,04,457	-	-	8,40,777	2,13,213	1,33,331
8. विद्युत अधिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. लाईब्रेरी की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य नियत आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	9,47,504	1,84,349	-	11,31,853	7,94,921	1,07,355	-	-	9,02,276	2,29,577	1,52,583
पूर्ववर्ती वर्ष	8,14,612	1,32,892	-	9,47,504	7,46,932	47,989	-	-	7,94,921	1,52,583	
ख. पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	9,47,504	1,84,349	-	11,31,853	7,94,921	1,07,355	-	-	9,02,276	2,29,577	
उपर्युक्त सहित अवक्रय आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।											

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं. 963880

V. K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

Place: New Delhi
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क - चालू आस्तियां				
1. माल सूची :				
क) स्टोर और स्पेयर्स	-		-	
ख) खुले औजार	-		-	
ग) बिक्री के लिए माल				
तैयार माल	-		-	
अर्धनिर्मित उत्पादन	-		-	
कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध देनदार:				
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	-		-	
ख) अन्य	16,96,000	16,96,000	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)		24		24
4. बैंक शेष :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)				
(i) नियत जमा	3,70,10,644		3,70,10,644	
(ii) ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी जमा	2,90,95,000		5,77,15,000	
- बचत खातों पर				
(i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 000068)	53,498		54,504	
(ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 1708 - एमओपी)	60,748		0	
		6,62,19,890		9,47,80,148
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ :				
चालू खातों पर	-		-	
जमा खातों पर	-		-	
बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खाते		-		-
कुल (क)		6,79,15,914		9,47,80,172

जारी...2...

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
ख - ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण :				
क) स्टाफ	-		-	
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयां	-		-	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ :				
क) पूंजीगत लेखा पर	-		-	
ख) पूर्व भुगतान	-		-	
ग) अन्य				
(i) **प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)**				
पूर्ववर्ती वर्ष	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	-		-	
(ii) **स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस):**				
पूर्ववर्ती वर्ष	12,52,015		8,72,345	
चालू वर्ष	4,50,863		3,79,670	
(iii) **आत्म मूल्यांकन कर:**				
पूर्ववर्ती वर्ष	4,73,000		4,73,000	
(iv) प्राप्य सदस्यता शुल्क	-		8,00,000	
(v) **जीएसटी (इनपुट) :**				
चालू वर्ष	29,12,301		3,37,600	
जोड़: अग्रिम कर:				
पूर्ववर्ती वर्ष	76,96,155		47,34,904	
चालू वर्ष	-		29,61,251	
जोड़: प्राप्य जीएसटी (आउटपुट):				
चालू वर्ष	-		1,44,000	
जोड़: प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस:				
पूर्ववर्ती वर्ष	88,000		8,000	
चालू वर्ष	6,000	1,28,78,334	72,000	1,07,82,770
3. प्रोद्भूत आय:				
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर	-		-	
ख) निवेशों पर - अन्य	-		-	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	-		-	
घ) अन्य (रु. ..... की अप्राप्त देय आय सम्मिलित है)	-	-	-	-
4. प्राप्तियोग्य दावे		-		-
कुल (ख)		1,28,78,334		1,12,12,219
कुल (क+ख)		8,07,94,248		10,55,62,942

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं. 563880

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2023 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -7- फीस/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	30,00,000	1,20,00,000
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्शकारी शुल्क	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) आरटीआई शुल्क	-	-
कुल	30,00,000	1,20,00,000

नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाएं

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं. 563880

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2023 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -8- अर्जित ब्याज			चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :				
क) अनुसूचित बैंकों में	टीडीएस - रु.:	4,50,863	**45,08,629**	37,96,702
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में			-	-
ग) संस्थानों में			-	-
घ) अन्य			-	-
2. बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों में			**13,078**	1,818
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में			-	-
ग) डाकघर बचत खाते			-	-
घ) अन्य			-	-
3. ऋणों पर :				
क) कर्मचारी/स्टाफ			-	-
ख) अन्य			-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज			-	-
कुल			**45,21,707**	37,98,520

नोट - स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं. 563880

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGnSL4740

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2023 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -9- अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) स्वाधिकृत आस्तियाँ	-	-
ख) अनुदानों से अर्जित, या निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय	-	-
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	-	-
कुल	-	-

अनुसूची -10- स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	-	-
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय	-	-
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं. 563880

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2023 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -11- अन्य प्रशासनिक खर्चे	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	-	-
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	35,20,735	32,92,892
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	-	-
घ) विद्युत एवं शक्ति	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
ज) उत्पाद शुल्क	-	-
झ) किराया, दरें एवं कर	-	-
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	-	-
ट) डाक, टेलिफोन एवं संचार प्रभार	-	-
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	86,264	1,60,655
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	1,060	4,156
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	80,73,016	28,88,086
ण) अभिदान व्यय	-	-
त) फीस पर व्यय	-	-
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	25,000	25,000
द) आतिथ्य व्यय	-	-
ध) व्यावसायिक प्रभार	6,25,044	8,70,491
न) अशोध्य संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प) अपलिखित अशोध्य शेष	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन एवं प्रचार (अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान का निवल)	-	1,52,637
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	1,77,57,564	18,60,000
कक) सचिवीय व्यय	-	-
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) अन्य व्यय (अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान का निवल)	21,967	1,16,865
ii) वेबसाइट व्यय	-	-
iii) आत्म मूल्यांकन कर पर प्रदत्त ब्याज	-	-
iv) अपील के लिए फीस	-	-
कुल	3,01,10,650	93,70,782

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

V. K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.स. 563880

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

विनियामक फोरम

अनुसूची 12 एवं 13: (31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्भूत आंकड़ों का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना;
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना;
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउट सोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना;
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना; और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय से निर्दिष्ट करती है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (अगले पृष्ठ पर जारी)

1. <u>लेखांकन की पद्धति</u>

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. <u>आय की मान्यता</u>

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखाबहियों में की जाती है।

3. <u>नियत आस्तियां और मूल्यह्रास</u>

नियत आस्तियों पर मूल्य ह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

4. <u>अनुदान</u>

क्षमता निर्माण और परामर्श के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। अव्ययित अनुदान वापस किया गया है या देयता के रूप में दर्शाया गया है।

5. <u>उत्तरवर्ती घटना को समायोजित करना</u>
<u>कर से संबंधित मामले</u>

(क) निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए जांच मूल्यांकन

(i) आयकर छूट की अनुपस्थिति में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016-17 (वित्त.व. 2015-16) के लिए रु.25,03,750/- का कर और रु.21,70,000/- का जुर्माना लगाया है। एफओआर ने कर का भुगतान किया है और जुर्माने के विरुद्ध सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की है।

(ii) दिनांक 31.07.2019 को केविविआ एवं एफओआर के उच्चतर अधिकारियों ने, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष से भेंट की जहाँ एफओआर के लिए छूट के अनुरोध से संबंधित मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। तथापि, अध्यक्ष, सीबीडीटी को ज्ञात हुआ कि एफओआर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किए जाने के लिए कोई समुचित आधार नहीं है। अध्यक्ष, एफओआर/केविविआ की ओर से दिनांक 11.09.2019 का अर्धशासकीय पत्र अध्यक्ष, सीबीडीटी को सकारात्मक निर्णय और एफओआर को छूट प्रदान किए जाने के अनुरोध के साथ भेजा गया। तथापि, कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः भविष्य में एफओआर को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किया जाना निश्चित नहीं है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (अगले पृष्ठ पर जारी)

(iii) वित्त मंत्रालय ने 18 मार्च, 2020 को अपनी अधिसूचना द्वारा एक नई योजना अर्थात् "विवाद से विश्वास योजना 2020" आरंभ की है। आरंभ की गई योजना, प्रत्यक्ष करों के मामले में विवादों के समाधान के लिए है। उक्त योजना के अनुसार, विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज से संबंधित कोई भी अपील (31 जनवरी, 2020 को लंबित) का निपटान 31 मार्च, 2020 को या इस से पूर्व विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज, जैसा भी मामला हो, के 25% (और इस के बाद 30 जून, 2020 को या इससे पूर्व 10% का अतिरिक्त भुगतान द्वारा) के भुगतान द्वारा किया जा सकता है। तथापि, अब इस योजना को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई, 2020 एवं 15 मई, 2020 को आयोजित एफओआर की 71वीं बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त योजना का लाभ उठाया जाए और नि.व. 2016-17 के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने (उपर्युक्त मद (iv) में संदर्भित है) का भुगतान किया जाए और मामले को समाप्त किया जाए। तदनुसार, वित्त. व. 2020-21 के दौरान, एफओआर सचिवालय ने रु.5,42,500/- की राशि का भुगतान कुल जुर्माना राशि के 25% के लिए किया और आयकर प्राधिकारियों के अधीन इस मामले की समाप्ति के दिनांक 15 जून, 2021 का अंतिम आदेश विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है।

6. <u>आकस्मिक देयताएं</u>

(i) वित्तीय वर्षों 2005-06 से 2014-15 के लिए आयकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है और ब्याज/जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्धारण और उपबंध नहीं किया गया है जो कि आयकर छूट प्राप्त नहीं होने की दशा में हो सकते हैं।

(ii) पूर्व वर्षों के लिए सेवाकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

7. <u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>

एफओआर में कोई नियमित कर्मचारी नहीं हैं। अतः कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है/उपबंध नहीं किया गया है।

8. <u>ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में जमा और एफडीआर में निवेश</u>

ऑटोस्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में जमा और एफडीआर में निवेश ऑटोस्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में सावधि जमा और अल्पकालिक जमा को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

9. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनःव्यवस्था की गई।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002283एन

(मनीष गांधी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 563880
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 26 जून, 2023
यूडीआईएनः 23563880BGSGSL4740

KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

विनियामक फोरम (एफओआर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु.में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1. आरंभिक शेष:			1. निम्नलिखित को रिलीज़:		
(क) नकद शेष	23.75	23.75			
			भारत सरकार - विद्युत मंत्रालय - योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	14,46,834.00	7,22,795.00
(ख) बैंक शेष					
(i) बचत खाता:					
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - बचत-सह-ऑटो स्वीप खाता	5,77,69,503.57	4,98,46,263.00			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - बचत खाता (योजना निधि)	0.29	0.29			
(ii) सावधि जमा (कोरपस निधि)	3,70,10,643.73	3,70,10,643.73			
2. निम्नलिखित से रिलीज़:			2. व्यय:		
भारत सरकार - विद्युत मंत्रालय - योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	46,26,000.00	12,00,000.00	(क) बैठक एवं संगोष्ठी व्यय	75,21,669.00	8,34,530.00
			(ख) व्यावसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)	5,13,159.00	7,74,491.00
			(ग) क्षमता निर्माण एवं परामर्श:		
			- फोरम की निधि	1,77,57,564.00	13,65,000.00
			- योजना निधि	32,15,443.96	4,88,963.00
			(घ) प्रशासनिक व्यय:		
			- विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	-	1,52,637.00
			- बैंक प्रभार (फोरम की निधि)	423.48	666.70
			- बैंक प्रभार (योजना निधि)	-	59.00
			- श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	32,17,155.00	29,57,763.00
			- मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	86,264.00	1,60,655.00
			- व्यावसायिक प्रभार	18,000.00	68,000.00
			- टेलीफोन व्यय	-	-
			- यात्रा व्यय	1,060.00	4,156.00
			- अन्य व्यय :		
			- ई-टीडीएस फाईल करने हेतु व्यय	300.00	200.00
			- कार्यालय व्यय/लेखा परीक्षा व्यय	10,602.00	1,14,706.73

विनियामक फोरम
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु.में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
3. आयोग की प्राप्तियां			3. (I) स्टाफ को अग्रिम		
			(क) अन्य अग्रिम (व्यय)		
(क) सदस्यता शुल्क (फोरम की निधि)	30,00,000.00	1,12,00,000.00			
			(II) समायोजन/विप्रेषण/देय:		
(ख) फ्लेक्सी जमा/सावधि जमा रसीद से ब्याज:					
- फोरम की निधि	21,45,743.00	20,84,978.00	(क) विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	-	-
- कोरपस निधि	22,23,373.00	17,89,616.00	(ख) लेखा परीक्षा फीस	25,000.00	25,000.00
			(ग) कार्यालय व्यय	774.00	774.00
			(घ) श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय (दायित्व का निवल)	2,81,256.00	4,05,113.00
			(ङ) व्यवसायिक प्रभार	28,000.00	31,249.00
			(च) व्यवसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	-	86,487.00
(ग) बचत खातों से ब्याज:			(छ) टेलीफोन व्यय	-	-
- फोरम की निधि	13,078.00	1,818.00	(ज) ऑटो स्वीप एफडीआर से ब्याज (फोरम की निधि)	24.00	-
- योजना निधि	36,132.00	11,817.00	(झ) आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस, जीएसटी एवं आत्म मूल्यांकन कर पर टीडीएस)	3,11,326.00	33,40,921.00
			(ञ) जीएसटी (आउटपुट)	-	19,44,000.00
			(ट) जीएसटी (इनपुट)	31,15,494.00	9,58,315.48
			(ठ) बैठक के लिए अग्रिम	28,13,800.00	50,000.00
			(ड) कार्यालय व्यय/नियत आस्तियों के लिए अग्रिम	15,000.00	15,000.00
			(ढ) विज्ञापन, संविदा एवं व्यावसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	13,63,493.00	4,49,338.00
			(ण) सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	3,18,195.00	1,42,495.00
			(त) वेबसाइट व्यय	-	17,110.00
			(थ) प्रशिक्षण व्यय	1,09,71,932.00	4,05,680.00
			(द) प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	14,000.00	88,000.00
			(ध) प्रतिदेय बैठक व्यय	20,20,830.00	-
			(न) अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की निधि)	4,45,500.00	-
			(III) अन्य द्वारा:		
			(क) अन्य व्यय	31,320.00	-
			(ख) कर के लिए प्रावधान (वि. व. 2016-17)	-	-
4. जमा प्राप्तियां:			4. नियत आस्तियों पर व्यय:		
			(क) टेबलेट	71,326.00	-
			(ख) कंप्यूटर	1,13,023.00	1,32,891.52
5. विप्रेषण प्राप्तियां			5. अंतिम शेष:		
			(क) नकद शेष	23.75	23.75
			(ख) बैंक शेष		
			(i) बचत खाता:		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बचत-सह-ऑटो स्वीप खाता	2,91,48,498.38	5,77,69,503.57
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - बचत खाता (योजना निधि)	60,748.33	0.29
			(ii) सावधि जमा (कॉरपस निधि)	3,70,10,644.00	3,70,10,643.73

विनियामक फोरम
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु.में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
6. अन्य प्राप्तियां					
- अन्य व्यय	31,714.56	-			
- प्रशिक्षण अग्रिम (एफओआर निधि)	92,75,932.00	-			
- प्राप्य सदस्यता फीस	8,00,000.00	32,00,000.00			
- बैठक के लिए अग्रिम	22,62,453.00	17,274.00			
- जीएसटी (इनपुट) दावा	-	11,03,137.00			
- प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	-	56,000.00			
- विज्ञापन, संविदा एवं व्यावसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	16,73,006.00	2,82,716.00			
- सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	3,90,741.00	1,02,956.00			
- देय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि)	2,200.00	2,525.00			
- कार्यालय व्यय/नियत आस्तियों के लिए अग्रिम	4,138.00	15,000.00			
- प्राप्य जीएसटी (आउटपुट)	6,84,000.00	25,92,000.00			
कुल	12,19,48,681.90	11,05,17,167.77	कुल	12,19,48,681.90	11,05,17,167.77

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

मनीष गांधी
(साझेदार)
एम.सं.563880

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 26 जून, 2023
यूडीआईएन सं.: 23563880BGSGSL4740

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
नई दिल्ली-110001

वि.व. 2022-2023 के लिए सरकारी वित्तीय सहायता के लेखा का विवरण

(राशि रु.में)

विवरण	वि.व. 2022-2023	वि.व. 2021-2022
आरंभिक शेष	-	-
जोड़:		
प्राप्त ब्याज (**टीडीएस = रू. शून्य**)	36,132	11,817
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	46,26,000	12,00,000
कुल (क)	46,62,132	12,11,817
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	29,33,061	-
क्षमता निर्माण	2,21,250	4,88,963
बैंक प्रभार	239	59
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस	36,132	11,817
अव्ययित वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस	14,10,702	7,10,978
कुल (ख)	46,01,384	12,11,817
कुल (क- ख)	60,748	-
अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष राशि	60,748	-

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002283एन

(मनीष गांधी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 563880

V.K. KHOSLA & CO. FRN : 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 26 जून, 2023
यूडीआईएनः 23563880BGSGSL4740

वर्ष के दौरान एसईआरसी द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम और आदेश

1. असम विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) असम विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2017 (चौथा संशोधन), 2022 दिनांक 9 अप्रैल, 2022

2) असम विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत लोकपाल) विनियम 2022 दिनांक 1 अप्रैल, 2022

3) असम विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायतों का निवारण) विनियम, 2022 दिनांक 10 अक्तूबर, 2022

4) असम विद्युत विनियामक आयोग (आरपीओ और इसका अनुपालन) विनियमन, 2010 (तीसरा संशोधन), 2021 दिनांक 4 अप्रैल, 2022

अन्य उपलब्धियाँ

1) टैरिफ आदेश 29 मार्च 2023 को समय पर जारी करना

2) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार आयोग में कोई मामला लंबित नहीं है।

3) डिस्कॉम के लिए कोई नियामक परिसंपत्ति सृजित नहीं की गई है।

4) आयोग द्वारा मामलों का समय पर निस्तारण

2. आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत की व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2005 में तीसरा संशोधन।

2) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता सहायता) विनियमन, 2016 में दूसरा संशोधन।

3) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 1999 में सातवां संशोधन।

4) एपीईआरसी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (नवीकरणीय ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की खरीद द्वारा अनुपालन) विनियम, 2022

5) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) विनियम, 2022

6) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता सहायता) विनियमन, 2016 में तीसरा संशोधन

7) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता सहायता) विनियमन, 2016 में चौथा संशोधन

8) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत की व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2005 में चौथा संशोधन

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशः

1) वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) के लिए आदेश जारी किया गया

2) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ और क्रॉस सब्सिडी अधिभार (सरचार्ज पर आदेश जारी किया गया।

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियाँ

एपीईआरसी ने 16.09.22 को विशाखापत्तनम में विनियामक फोरम की 82वीं बैठक की मेजबानी की।

3. बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान महत्वपूर्ण विनियम मुद्दे

1) बिहार विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022

वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशः

1) बीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 के तहत स्वतः संज्ञान कार्यवाही

4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियम;

1) सीएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) दिशानिर्देश, 2022 (अधिसूचना दिनांक 31/12/2022)

2) सीएसईआरसी (नवीकरणीय खरीद दायित्व और आरईसी ढांचा कार्यान्वयन) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 (अधिसूचना दिनांक 31/12/2022)

3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (संयंत्र आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत के उत्पादन टैरिफ और संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 (अधिसूचना दिनांक 31/12/2022)

4) सीएसईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 (अधिसूचना दिनांक 06/03/2023)

5) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन) 2023 (अधिसूचना दिनांक 20/03/2023)

5. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

1) डीईआरसी (बिजनेस प्लान) विनियम, 2023

2) डीईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2023

3) डीईआरसी (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र ढांचा कार्यान्वयन) (पहला संशोधन) विनियम, 2023

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

4) नरेला–बवाना में नगरपालिका अपशिष्ट आधारित संयंत्र से विद्युत संयंत्र के संबंध में दिनांक 7/03/2023 के आदेश द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए 7.38 रुपये/किलोवाट टैरिफ अनुमोदन के टैरिफ को मंजूरी दी गई।

6. गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) 08.04.2022 को गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022

2) 31.05.2022 को गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

1) 2022 की याचिका संख्या 2128 में दिनांक 17.03.2023 के आदेश द्वारा पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए टैरिफ फ्रेमवर्क की प्रयोज्यता को 31.03.2023 से 19.06.2023 तक बढ़ाया जाएगा।

2) आरई स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रक्रिया।

7. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमय

1) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग), विनियम, 2022

2) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र से टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 (दूसरा संशोधन, 2022)

3) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (फोरम और लोकपाल) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	आदेश की तिथि	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	विषय
1.	5 अगस्त, 2022	वर्ष 2022 की एचईआरसी/ याचिका संख्या–30	(स्व. प्रेरणा)	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र से टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 और वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2022–23 में चालू/चालू की जाने वाली आरई पावर परियोजनाओं के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही के आधार पर एचईआरसी आरई विनियमों, 2021 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुसार विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ/सांकेतिक टैरिफ का निर्धारण।
2.	20 अक्तूबर, 2022	वर्ष 2022 की एचईआरसी/ याचिका संख्या–54	एचपीपीसी	एचईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र से टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 के विनियम 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के अंतर्गत याचिका, अनुमोदन की मांग स्रोत के साथ–साथ चीनी पेराई सत्र के दौरान मैसर्स पानीपत सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के 28 मेगावाट सह–उत्पादन आधारित विद्युत संयंत्र में से 21 मेगावाट की खरीद के लिए पारस्परिक रूप से सहमत सीमा स्तर के 6.67 रुपये प्रति यूनिट लंबी अवधि पर अधारित टैरिफ पर विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) को मंजूरी दी गई।
3.	14 नवंबर, 2022	वर्ष 2022 की एचईआरसी/ याचिका संख्या–57	एचपीजीसीएल	एचईआरसी एमवाईटी विनियम 2019 के विनियमन 8.3.8 (क) और (ख) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (क) और (ट) के अंतर्गत याचिका, जिसमें एचईआरसी एमवाईटी विनियमन 2019 के विनियमन 3.20 (ग) और (घ) के साथ पठित विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निदेश दिनांक 28.04.2022, 13.05.2022 और 18.05.2022 के अनुसार एवं एसएचपीपीसी द्वारा प्रदान किये गये दिनांक 04.06.2022 के अनुमोदन और एससीपीपी द्वारा दिये गये दिनांक 19.04.2022 के अनुमोदन और आगे इस माननीय आयोग द्वारा जारी दिनांक 04.07.2022, 01.08.2022 और 01.09.2022 के निर्देशों के संदर्भ में आयातित कोयले के मिश्रण के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव की भरपाई के लिए उचित अनुमोदन की मांग की गई है।

4.	23 नवंबर, 2022	वर्ष 2022 की एचईआरसी/आरए–9	मैसर्स ओएसिस कमर्शियल प्रा. लिमिटेड	हरियाणा में स्थापित/स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ईंधन लागत का निर्धारण। बायोमास, धान की पराली, बायोगैस, बायोमास गैसीफायर और बैगेस/ नॉन बैगेस (सह–उत्पादन) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग में प्रदान किए गए ईंधन लागत को छोड़कर मापदंडों के आधार पर (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, नवीकरणीय खरीद से टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र) विनियम, 2021– स्व. प्रेरणा
5.	26 दिसंबर, 2022	वर्ष 2022 की एचईआरसी/ याचिका संख्या–56	(स्व. प्रेरणा)	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र से टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 – स्व. प्रेरणा
6.	04 जनवरी, 2023	वर्ष 2022 की एचईआरसी/ याचिका संख्या–68	यूएचबीवीएनएल	पीएम कुसुम योजना के घटक–सी के अंतर्गत आरईएससीओ के माध्यम से व्यक्तिगत पंप स्तर सोलराइजेशन के तहत किसानों से अधिशेष विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ और फीडर स्तर सोलराइजेशन के अंतर्गत विद्युत की खरीद के लिए अधिकतम टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।

8. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–2023 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

वर्ष 2022–2023 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

1) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2022 को अंतिम रूप देने के संबंध में आदेश।

2) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अतिरिक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के नामांकित स्वतंत्र सदस्य का वेतन और अन्य भत्ते) आदेश, 2022

9. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्रशासित प्रदेश)

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमः–

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 06.05.2022 को अधिसूचित किया गया।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	याचिका का विवरण	आदेश की तिथि
1.	64/2021	विद्युत विभाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्तीय वर्ष 2017–18, वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप	10.05.2022
2.	78/2022	विद्युत विभाग अंडमान एवं निकोबार	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए कारोबारी योजना का अनुमोदन	01.08.2022
3.	79/2022	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक बहु–वर्षीय नियंत्रण अवधि के लिए कारोबारी योजना का अनुमोदन	11.07.2022
4.	80/2022	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2020–21 के ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2022–23 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण को मंजूरी	11.07.2022
5.	81/2022	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन राजस्व, तीसरे एमवाईटी नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2022–23 से वित्त वर्ष 2024– 25) के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा आपूर्ति प्रभार का निर्धारण	01.08.2022
6.	82/2022	विद्युत विभाग, पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप पर माननीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.2022 की समीक्षा, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) तीसरी नियंत्रण अवधि और खुदरा टैरिफ का निर्धारण विद्युत विभाग, पुडुचेरी सरकार के लिए याचिका संख्या 70/2021 में वित्तीय वर्ष 2022–23	01.08.2022
7.	85/2022	विद्युत विभाग, गोवा	वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ट्रू–अप	28.03.2023

8.	88/2022	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के ट्रू अप की मंजूरी, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ सृजन का निर्धारण	28-03-2023
9.	90/2022	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीएनएचडीडीपीडीसीएल)	एमवाईटी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष) के लिए बिजनेस प्लान के लिए जेईआरसी (जेनरेशन, परेषण और डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी ईयर टैरिफ) विनियम, 2021 के तहत सभी कई विनियमों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61,62 और 64 के तहत याचिका दायर करने के लिए आवेदन 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25)।	27-02-2023 (स्वीकार नहीं की गई)
10.	91/2022	लक्षद्वीप विद्युत विभाग	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	28.03.2023
11.	97/2023	ईडी–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	28.03.2023
12.	92/2022	ईडी–दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (पारेषण)	वित्त वर्ष 2021–22 का ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षाएं (एआरआर)	30.03.2023
13.	93/2022	डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2021–22 का ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षाएं (एआरआर)	30.03.2023
14.	94/2022	दमन एवं दीव का विद्युत विभाग	वित्त वर्ष 2021–22 का ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षाओं (एआरआर) का निर्धारण और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	30.03.2023
15.	95/2022	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा, समग्र राजस्व अपेक्षाएं (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण को मंजूरी	30.03.2023

16.	96/2022	ईडी–पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	30.03.2023
17.	99/2023	ईडी–चंडीगढ़	वित्तीय वर्ष 2020–21 के ट्रू–अप और वित्तीय वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (एपीआर), और सकल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण को मंजूरी	30.03.2023

10. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मीटरिंग) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

2) मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (17वां संशोधन) विनियम, 2022

3) मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) विनियम, 2022

आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल), मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड (एमएसपीसीएल) और पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मिजोरम के लिए टैरिफ आदेश जारी किया।

11. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू कश्मीर और लद्दाख)

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमय

1) जेईआरसी जम्मू–कश्मीर और लद्दाख (फीस, जुर्माना और प्रभार) विनियम, 2023 (शासकीय राजपत्र संख्या 34 दिनांक 17–01–2023 में प्रकाशित)।

2) जेईआरसी जम्मू–कश्मीर और लद्दाख (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2023 (शासकीय राजपत्र संख्या 165 दिनांक 15–03–2023 में प्रकाशित)।

3) जेईआरसी जम्मू–कश्मीर और लद्दाख (पारेषण और वितरण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2023 (शासकीय राजपत्र संख्या 168 दिनांक 15–03–2023 में प्रकाशित)।

4) जेईआरसी जम्मू–कश्मीर और लद्दाख (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता वकालत) विनियम, 2023 (शासकीय राजपत्र संख्या 181 दिनांक 23–03–2023 में प्रकाशित)।

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश;

1) वित्तीय वर्ष 2017–18, वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप, नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा और जेकेपीडीसीएल के जलविद्युत स्टेशनों की वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ का अनुमोदन

2) वित्त वर्ष 2019–20 का ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2020–21 का वार्षिक कार्य निष्पादन राजस्व, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा और जेकेपीटीसीएल के वित्त वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ प्रस्ताव

3) वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 का ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ निर्धारण और एलपीडीडी के वित्त वर्ष 2022–23 के लिए खुदरा टैरिफ

4) वित्त वर्ष 2019–20 का ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के संबंध में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ निर्धारण और 2022–23 के लिए खुदरा टैरिफ

5) जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) के लिए ट्रेडिंग मार्जिन का निर्धारण।

6) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ

12. कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमः

1) कर्नाटक राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत की आपूर्ति की शर्तें (सीओएस) 2022 (दसवां संशोधन), 2022

2) केईआरसी (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) (आठवां संशोधन) विनियम, 2022

3) केईआरसी (विद्युत की आपूर्ति, प्रदर्शन के मानक और संबद्ध मामलों से संबंधित उपभोक्ताओं के अधिकार) विनियम, 2022

4) केईआरसी (ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन) विनियम 2022

5) केईआरसी (कर्नाटक विद्युत ग्रिड संहिता) (पहला संशोधन), 2022

6) केईआरसी (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) (नौवां संशोधन) विनियम, 2022

7) केईआरसी (पवन और सौर उत्पादन स्रोतों के लिए शेड्यूलिंग विचलन निपटान और संबंधित मामलों का पूर्वानुमान) पहला संशोधन विनियम, 2022

8) कर्नाटक राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत की आपूर्ति की शर्तें (सीओएस) (ग्यारहवां संशोधन) 2023

9) केईआरसी (विद्युत की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2023

10) केईआरसी (हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022

11) केईआरसी (ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन) (पहला संशोधन) विनियम 2023

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशः

1) कर्नाटक राज्य में चालू होने वाले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में टैरिफ आदेश के विस्तार के मामले में केईआरसी आदेश दिनांक 23.01.2023

2) वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए पवन ऊर्जा परियोजना के लिए जेनेरिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में केईआरसी आदेश दिनांक 27.03.2023

13. केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (मौजूदा वितरण लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंस की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 30 जून, 2022 सरकारी राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 4 जुलाई, 2022 में प्रकाशित।

2) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा और नेट मीटरिंग) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 15 जुलाई, 2022 सरकारी राजपत्र संख्या 2381 दिनांक 18 जुलाई, 2022 में प्रकाशित।

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

1) केएसईबी लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर, ईआरसी और टैरिफ याचिका की मंजूरी की मांग करने वाली याचिका में दिनांक 25.06.2022 का आदेश।

2) केएसईबी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में दिनांक 13.07.2022 के आदेश को पीएम–कुसुम योजना के घटक ए के तहत निविदा में खोजे गए टैरिफ की मंजूरी और चयनित बोलीदाताओं के साथ दर्ज किए जाने वाले प्रस्तावित पीपीए को मंजूरी देने की मांग की गई।

14. महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमः

1) एमईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2019 में पहला संशोधन

2) एमईआरसी (कारबार और फीस और प्रभार का लेनदेन) विनियम, 2022

3) एमईआरसी (पूंजी निवेश योजनाओं का अनुमोदन) विनियम, 2022

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशः

उत्पादन करने वाली कंपनियाँ	पारेशण लाइसेंसधारी	वितरण लाइसेंसधारी
महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल) (2022 का 227)	जयगढ़ पावर ट्रांसको लिमिटेड (2022 का 213)	एईएमएल एसईईपीजेड लिमिटेड (एएसएल) (मामला सं. 40/2023) में आईए. संख्या 2023 की 25)
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (जेनरेशन) (2022 का 221)	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (पारेषण) (2022 का 217)	केआरसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2022 का 214)
अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड–जेनरेशन (2022 का 229)	विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (पारेषण कारोबार)	गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (2022 में से 215)
	अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड – पारेषण (2022 का 230)	माइंडस्पेस बिजनेस पार्क प्रा. लिमिटेड (2022 का 216)
	महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (2022 का 232)	लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिमिटेड (2022 का 220)
	अमरावती पावर पारेषण कंपनी लिमिटेड (2022 का 234)	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) (2022 का 219)
	महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर पारेषण कंपनी लिमिटेड (2022 का 237)	ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ईओएन एसईजेड फेज I) (2022 का 235)
	अडाणी पारेषण (इंडिया) लिमिटेड (2022 का 238)	ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ईओएन एसईजेड फेज II) (2022 का 236)
	राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) (2022 का 239)	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण)
	महाराष्ट्र राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (2022 का 233)	बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) (2022 का 212)

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियाँः

1) वितरण के विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसंपत्तियों और लागत के आवंटन के लिए दिशानिर्देश 21 जुलाई 2022 को जारी किए गए थे।

15. मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमः

1) एमपीईआरसी (आपूर्ति देने के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त विद्युत लाइन या संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए व्यय और अन्य प्रभार की वसूली) विनियम [संशोधन-II)] 2022

2) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड अंतर सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संबंधित मामले) विनियम, 2022

3) एमपीईआरसी (पारेषण कार्य निष्पादन मानक) [संशोधन-II), 2022

4) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन और उत्पादन), विनियम, 2021 में पहला संशोधन (पहला संशोधन)

5) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मध्य प्रदेश में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, (संशोधन-I) 2021 में पहला संशोधन (पहला संशोधन)

6) एमपीईआरसी में पहला संशोधन (परेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (संशोधन-IV), विनियम, 2020 (पहला संशोधन)

7) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 (संशोधन -IV) विनियम, 2020 में पहला संशोधन (पहला संशोधन)

8) एमपीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017 में पहला संशोधन।

9) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2020 (संशोधन -IV) विनियम, 2020 में दूसरा संशोधन (दूसरा संशोधन)

10) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत क्रय एवं उपार्जन प्रक्रिया) विनियम, 2023

11) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा और निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध पहुंच प्रभार और बैंकिंग प्रभार के निर्धारण की पद्धति) विनियम, 2023

12) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग में पहला संशोधन (विद्युत की आपूर्ति और व्हीलिंग के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें और प्रभार निर्धारण के तरीके और सिद्धांत) (पहला संशोधन) विनियम

13) एमपीईआरसी (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	विषय	आदेश की तिथि
1.	वर्ष 2021 की याचिका सं. 64	मैसर्स लैंको अमरकंटक प्रा. लिमिटेड	मैसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ की 300 मेगावाट यूनिट नंबर 1 से पीटीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड [एमपीपीएमसीएल,) को दीर्घकालिक विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष लागू एमपीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और धारा 86 (1) (क) और (ख) के साथ पठित धारा 64 (5) के अंतर्गत याचिका	13.05.2022
2.	वर्ष 2021 की याचिका सं. 63	मैसर्स जेपीवीएल, बीना	मैसर्स जेपीवीएल द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 86 (एल) (क) के तहत आयोग द्वारा एमवाईटी के दिनांक 30.04.2021 के आदेश के माध्यम से निर्धारित अपने 2x250 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के टैरिफ के ट्रू–अप के लिए दायर याचिका के मामले में	19.05.2022
3.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 01	एम. पी. पावर पारेषण कंपनी लिमिटेड	याचिका क्रमांक 45/2020 में मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19 मई 2021 में निर्धारित वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एमपीपीटीसीएल के पारेषण टैरिफ के ट्रू–अप के मामले में	16.08.2022
4.	वर्ष 2022 की एसएमपी सं. 36	एमपीईआरसी	मध्य प्रदेश राज्य में बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं से वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ के निर्धारण के मामले में	13.09.2022
5.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 73	स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी), एमपीपीटीसीएल, जबलपुर	वित्तीय वर्ष–2023–24 के लिए एसएलडीसी जबलपुर के लिए एआरआर का निर्धारण, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एसएलडीसी द्वारा प्रभार और प्रभारों का लेवी और संग्रहण और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर का ट्रू–अप।	20.02.2023
6.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 83 और 84	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पूर्वी डिस्कॉम), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पश्चिम डिस्कॉम), मध्य	वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा दायर ट्रू–अप याचिका के आधार पर वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के ट्रू–अप का निर्धारण एआरआर और टैरिफ याचिका के आधार पर वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण	20.03.2023. 28.03.2023

		प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सेंट्रल डिस्कॉम), और एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएम सीएल)		
7.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 81	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) पीथमपुर क्षेत्र, इंदौर, मध्य प्रदेश में टैरिफ याचिका विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	एआरआर और टैरिफ याचिका के आधार पर वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण	31.03.2023

16. मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमः

1) मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2014

2) मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायतों का निवारण और विद्युत लोकपाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2017

3) मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

4) मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के लिए डिस्कॉम परिसंपत्तियों को किराए पर देना/पट्टे पर देना) विनियम, 2023।

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

1) मेघालय पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और वार्षिक निश्चित प्रभार का संशोधन।

2) मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ आदेश की समीक्षा।

3) मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वितरण प्रभार।

4) मेघालय पावर परेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और पारेषण टैरिफ और निर्बाध पहुंच प्रभार।

5) मेघालय विद्युत उत्पादन निगम की वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और उत्पादन प्रभार।

6) मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वितरण कारोबार के ट्रू–अप की मंजूरी के लिए याचिका।

7) मेघालय पावर पारेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पारेषण कारोबार के ट्रू–अप की मंजूरी के लिए याचिका

8) मेघालय पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के लिए उत्पादन कारोबार के ट्रू–अप की मंजूरी के लिए याचिका।

9) डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका।

10) मेघालय पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तीसरी एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बिजनेस प्लान की मध्यावधि समीक्षा को मंजूरी।

11) मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तीसरी एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अतिरिक्त कारोबारी योजना को मंजूरी।

17. नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश;

1) गणेशनगर, दीमापुर, नागालैंड में प्रस्तावित 10 मेगावाट बायोमास पावर परियोजना के लिए उत्पादन टैरिफ आदेश

2) विद्युत विभाग, नागालैंड के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा टैरिफ आदेश।

अन्य प्रासंगिक उपलब्धि

1) गणेशनगर, दीमापुर, नागालैंड में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए विद्युत खरीद समझौते को मंजूरी।

18. ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियम;

1) ओईआरसी (व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2022

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश;

1) ओईआरसी (ओडिशा राज्य में टैरिफ आधार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अंतःराज्यिक पारेषण परियोजना का विकास) आदेश, 2022

2) ओडिशा के डीआईसीओएम के एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के अनुमोदन पर खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश (80,82,83,88 / 2022) 23.03.23

3) मामला संख्या 76 / 22 में वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए ओपीटीसीएल के लिए एआरआर और पारेषण टैरिफ के निर्धारण के अनुमोदन पर आदेश

4) वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ओएचपीसी के उत्पादन टैरिफ पर एआरआर के अनुमोदन पर आदेश (मामला संख्या 74 / 2022)

5) मामला संख्या 72 / 2022 में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एसएलडीसी के लिए एआरआर और प्रभार और प्रभार के निर्धारण के अनुमोदन पर आदेश। मामला संख्या 78 / 2022 और 79 / 2022 में एआरआर के अनुमोदन और ग्रिडको के थोक मूल्य के निर्धारण पर आदेश। ओपीजीसी के जनरेशन टैरिफ के अनुमोदन पर आदेश (मामला संख्या 75 / 2022)

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियाँ

आयोग ने ओडिशा की चार डिस्कॉम के लिए 1479.64 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी।

19. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) (11वां संशोधन) विनियम, 2022

2) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022

3) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कैप्टिव विद्युत उत्पादन का उपयोग) विनियम, 2022

4) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) विनियम, 2022

5) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, परेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2022

6) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता) विनियम, 2023

7) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) (12वां संशोधन) विनियम, 2023

क्र.सं.	विनियम का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) (11वां संशोधन) विनियम, 2022	पीएसईआरसी/सचि/विनि.164 दिनांक 8 सितंबर, 2022
2	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, परेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022	पीएसईआरसी/सचि/विनि.165 दिनांक 27 अक्तूबर, 2022
3	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कैप्टिव विद्युत उत्पादन का दोहन) विनियम, 2022	पीएसईआरसी/सचि/विनि.166 दिनांक 27 अक्तूबर, 2022
4	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) विनियम, 2022	पीएसईआरसी/सचि/विनि.169 दिनांक 12 दिसंबर, 2022
5	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, परेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2022	पीएसईआरसी/सचि/विनि.171 दिनांक 6 मार्च, 2023
6	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता) विनियम, 2023	पीएसईआरसी/सचि/विनि.172 दिनांक 21 मार्च, 2023
7.	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) (12वां संशोधन) विनियम, 2023	पीएसईआरसी/सचि/विनि.173 दिनांक 29 मार्च, 2023

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	याचिका संख्या	पक्षकारों का नाम	विषय – वस्तु	अंतिम आदेश की तिथि
1	स्व. प्रेरणा याचिका संख्या वर्ष 2022 की 06	पीएसपीसीएल	पीएसईआरसी (ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम) विनियम] 2021 के तहत नेट–बिलिंग और ग्रॉस–मीटरिंग व्यवस्था के उद्देश्य के लिए फीड–इन–टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका (स्वतः संज्ञान)	06.04.2022
2	09/2022	पीएसपीसीएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63, धारा 86 (1) (ख) और (ङ) के तहत याचिका, पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंसधारियों की विद्युत खरीद और खरीद प्रक्रिया) विनियम, 2012 और पंजाब राज्य के विनियम 46 के साथ पठित पंजाब में स्थित परियोजनाओं से 150 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ अपनाने और उसके संबंध में विद्युत खरीद की मंजूरी के लिए विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का प्रचालन) नियम, 2005	28.04.2022
3	49/2022	पीएसपीसीएल	वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना सहित कारोबारी योजना।	11.01.2023
4	50/2022	पीएसपीसीएल	वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2025–26 तक एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना सहित व्यवसाय योजना के लिए पंजाब राज्य पावर परेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर याचिका संख्या 50/2022	21.12.2022

20. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा गैर घरेलू टैरिफ की वर्तमान दर के बजाय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को औद्योगिक श्रेणी में टैरिफ पर विचार करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

2) डीसीसीपीपी (330मेगावाट) के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एपीआर) और टैरिफ के लिए दायर याचिका पर

3) सीएससीटीपीपी इकाइयों 5 और 6 के लिए वित्त वर्ष 2018–19 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और टैरिफ की मंजूरी के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.12.2021 की समीक्षा के लिए याचिका पर।

4) वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के ट्रू–अप हेतु दिनांक 27.01.2021 एवं 07.09.2021 के आदेश की समीक्षा हेतु याचिका

5) वित्त वर्ष 2021–22 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन के मामले में आयोग के आदेश दिनांक 22.11. 2021 की समीक्षा के लिए याचिका पर

6) वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा और टैरिफ निर्धारण और वित्त वर्ष 2019–20 के ट्रू–अप के अनुमोदन के मामले में आयोग के आदेश दिनांक 23.12.2021 की समीक्षा के लिए याचिका पर।

7) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य में चालू होने वाले बायोमास, बायोगैस और बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए सामान्य टैरिफ

8) छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (सीएससीटीपीपी) (यूनिट 5 और 6) के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण

9) वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर का निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप

10) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू अप एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पारेषण एवं एसएलडीसी के एआरआर एवं टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में

11) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू अप के अनुमोदन के संबंध में

12) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) की कुल राजस्व अपेक्षा, टैरिफ याचिका और निवेश योजना वित्तीय वर्ष 2022–23

13) आरवीपीएनएल के वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा और टैरिफ निर्धारण और वित्त

वर्ष 2020–21 के ट्रू–अप के अनुमोदन के मामले में याचिका संख्या 1979/22 में पारित आयोग के आदेश दिनांक 13.07.2022 की समीक्षा के लिए याचिका पर।

14) वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू अप के लिए याचिका संख्या 1980/22 में पारित आयोग के दिनांक 23.06.2022 के आदेश की समीक्षा और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर के ट्रू अप के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ केटीपीएस (इकाइयाँ 1–7)। एसटीपीएस (यूनिट 1–6), सीटीपीपी (यूनिट 1–4), केएटीपीपी (यूनिट 1–2), आरजीटीपीएस (270.50 मेगावाट), माही हाइडल और केटीपीएस (यूनिट 1–7) के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ की मंजूरी), एसटीपीएस (इकाइयाँ 1–6), सीटीपीपी (इकाइयाँ 1–4), केएटीपीपी (इकाइयाँ 1–2), आरजीटीपीएस (270.5 मेगावाट), आरवीयूएन के माही हाइडल पावर स्टेशन के लिए याचिका पर

15) वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएससीटीपीपी यूनिट 5 और 6 के लिए एआरआर और टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 1985/2022 पारित आयोग आदेश दिनांक 23.06.2022 की समीक्षा।

16) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु निवेश योजना के अनुमोदन के संबंध में

17) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (सीएससीटीपीपी (यूनिट 5 और 6) के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा को पूरा करने के मामले में

18) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू अप और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा, टैरिफ और निवेश योजना के अनुमोदन के मामले में

21. सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियम;

1) सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) विनियम, 2022

2) सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (आरईसी तंत्र के लिए नवीकरणीय उत्पादन परियोजना के प्रत्यायन की प्रक्रिया) विनियम, 2022

क्र.सं.	जारी विनियमों का विवरण	शासकीय राज–पत्र में प्रकाशन की तिथि
1	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) विनियम, 2022	2 जून 2022
2	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (आरईसी तंत्र के लिए नवीकरणीय उत्पादन परियोजना के प्रत्यायन की प्रक्रिया) विनियम, 2022	27 जुलाई 2022

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण आदेश;

3) वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू अप का आदेश, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए समीक्षा और विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ, 21 मार्च, 2023 को जारी किया गया।

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियाँ

1) एसएसईआरसी (हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2023

2) एसएसईआरसी ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र (आरईसी तंत्र) के लिए हरित ऊर्जा से संबंधित नवीकरणीय परियोजनाओं के मामलों की मान्यता और आरपीओ की निगरानी के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्य एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है।

3) एसएसईआरसी ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2021 की धारा 26 के तहत निर्णय के उद्देश्य से निर्णय अधिकारी को नामित किया है।

22. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–2023 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (याचिका फीस, लाइसेंस फीस और अन्य फीस विनियमन 2016 से संबंधित विविध प्रावधान) (पहला संशोधन) विनियम, 2022

2) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग विद्युत आपूर्ति संहिता (तीसरा संशोधन) विनियम 2022

3) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (याचिका फीस, लाइसेंस फीस और अन्य फीस विनियमन 2016 से संबंधित विविध प्रावधान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

4) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समूह नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) दिशानिर्देश, 2023

5) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2023

6) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच प्रभार के निर्धारण की पद्धति) विनियम, 2023

7) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समूह नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (पहला संशोधन) दिशानिर्देश, 2023

क्र.सं.	विनियम का नाम	टिप्पणी
1	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (याचिका फीस, लाइसेंस फीस और अन्य फीस विनियमन 2016 से संबंधित विविध प्रावधान) (पहला संशोधन) विनियम, 2022	त्रिपुरा राजपत्र दिनांक 31–03–2022 के माध्यम से अधिसूचित
2	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग विद्युत आपूर्ति संहिता (तीसरा संशोधन) विनियम 2022"	त्रिपुरा राजपत्र दिनांक 08–08–2022 के माध्यम से अधिसूचित

3.	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (याचिका फीस, लाइसेंस फीस और अन्य फीस विनियमन 2016 से संबंधित विविध प्रावधान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023	त्रिपुरा राजपत्र दिनांक 06–03–2023 के माध्यम से अधिसूचित
4.	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समूह नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) दिशानिर्देश, 2023	क्र.सं. एफ/25/टीईआरसी/09/711 दिनांक 24.04.2023
5	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2023	त्रिपुरा राजपत्र दिनांक 15–03–2023 के माध्यम से अधिसूचित
6	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच प्रभार के निर्धारण के लिए पद्धति) विनियम, 2023	त्रिपुरा राजपत्र दिनांक 15–03–2023 के माध्यम से अधिसूचित
7.	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समूह नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (पहला संशोधन) दिशानिर्देश, 2023	कार्यालय आदेश सं. एफ/25/टीईआरसी/09/1201 दिनांक 23-06-2023

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेशों का विवरण	टिप्पणी
1	पारेषण प्रभार के बकाया भुगतान में त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल) की चूक के लिए विद्युत आपूर्ति में कमी	दिनांक 31–03–2022 का जारी आदेश
3	टीईआरसी (याचिका फीस, लाइसेंस फीस और अन्य फीस विनियमन 2016 से संबंधित विविध प्रावधान) विनियमन 2016 में छूट के माध्यम से एमवाईटी याचिका प्रभार और वार्षिक लाइसेंस फीस में कमी	दिनांक 28–06–2022 का जारी आदेश
4	टीएसईसीएल द्वारा एसईसीआई की विनिर्माण से जुड़ी सौर योजना से 100 मेगावाट आईएसटीएस से संबद्ध एवं टीईआरसी (टैरिफ प्रक्रिया) विनियमन 2004 के खंड 3.1 (क) के तहत के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत सौर ऊर्जा की खरीद याचिका टीईआरसी (टैरिफ प्रक्रिया) विनियमन 2004 कोरम	दिनांक 03–03–2023 का जारी आदेश

23. तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

1) तमिलनाडु विद्युत आपूर्ति संहिता 2004

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश संख्या और तिथि	आदेश का विवरण
1.	आदेश सं 7 वर्ष 2022 दिनांक 09.09.2022	वित्त वर्ष 2022–23 से 2026–27 के लिए उत्पादन और वितरण के लिए टैरिफ का अवधारण (टीएएनजीईडीसीओ)
2.	आदेश सं 8 वर्ष 2022 दिनांक 09.09.2022	वित्त वर्ष 2022–23 से 2026–27 के लिए अंतःराज्यिक पारेषण टैरिफ और अन्य संबंधित प्रभारों का अवधारण (टीएएनटीआरएएनएससीओ)
3.	आदेश सं 9 वर्ष 2022 दिनांक 09.09.2022	वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक की अवधि के लिए एसएलडीसी प्रभारों का अवधारण
4.	आदेश सं 10 वर्ष 2022 दिनांक 09.09.2022	गैर–टैरिफ संबंधी विविध प्रभार
5.	आदेश सं 2 वर्ष 2023 दिनांक 13.02.2023	तमिलनाडु सरकार द्वारा 08.11.2022 से 31.03.2023 की अवधि में व्यस्ततम घंटो (पीक आवर्स) के दौरान लो टेंशन इंडस्ट्रीज (आईआईआईबी) के लिए दिन के समय के प्रभार में 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की कटौती के लिए अनंतिम टैरिफ सब्सिडी
6.	आदेश सं 4 वर्ष 2023 दिनांक 30.03.2023	तमिलनाडु सरकार द्वारा दिनांक 03.03. 2023 से 31.03.2023 की अवधि के लिए पावरलूम और हैंडलूम उपभोक्ताओं के लिए अनंतिम टैरिफ सब्सिडी। (हैंडलूम उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट और पावरलूम उपभोक्ताओं के लिए 750 यूनिट से बढ़ाकर 1000 यूनिट कर दी गई है।
7.	आदेश सं 8–1/2023 दिनांक 20.03.2023	ग्रिड इंटरएक्टिव पीवी सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली (जीआईएसएस) के लिए जेनेरिक टैरिफ आदेश पर दिनांक 22.10.2021 के आदेश सं. 8 का विस्तार

24. तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	विनियमन सं.	विनियमन शीर्षक	तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1	6 of 2022	(विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) पहला संशोधन विनियमन, 2022	01.04.2022
2	7 of 2022	नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (नवीकरणीय ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद द्वारा अनुपालन) विनियमन, 2022	04.04.2022
3	8 of 2022	आयोग ने 'अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की विधि और सेवा की शर्तें'' 'पर 1999 के विनियम संख्या 3 में संशोधन किये जाने के कारण 2022 की विनियम संख्या 8 जारी किया है।	05.09.2022
4	1 of 2023	आयोग ने (विद्युत की व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) 2023 के विनियमन संख्या 1 में तीसरा संशोधन विनियमन जारी किया।	20.01.2023

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	आदेश की तिथि	प्रतिवादी संख्या	विषय
1.	28.04.2022	आई.ए.सं.. 2018 की 44, आई.ए. सं. 2019 की 1 आई.ए. सं. 2019 की 9 आई.ए. सं. 2019 की 10 आई.ए. सं. 2019 की 11. आई.ए. सं. 2019 की 12. आई.ए. सं. 2020 की 1. आई.ए. सं. 2020 की 3. आई.ए. सं. 2020 की 6. आई.ए. सं. 2020 की 7. आई.ए.सं. 2020 की 10 एवं आई.ए. सं. 2020 की 11.	आयोग ने वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए एआरआर दाखिल करने के लिए समय के विस्तार से संबंधित लेखाबंदी का सामान्य आदेश पारित किया।
2.	01.08.2022	वर्ष 2022 की ओपी सं. 70	दक्षिणी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल) और मैसर्स श्रीनिवास पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच –नालगोंडा जिले के थुम्मदम, निदामनूर (एम) में किमी 38 पर नागार्जुन सागर बाईं नहर से मुदिमानिक्यम मेजर का अधिग्रहण, सभी करों और प्रभारों सहित रु. 2.15 रुपये/किलोवाट घंटा के निश्चित टैरिफ पर 3 साल के लिए पीपीए की अवधि के विस्तार के लिए इसके 1x550 किलोवाट घंटा मिनी हाइडल पावर प्लांट से विद्युत की खरीद के लिए किए गए विद्युत खरीद समझौते में पहले संशोधन के मसौदे पर सहमति के मामले में।
3.	22.10.2022	ओपी सं 2021 का 58 एवं ओपी संख्या 2021 का 59 में आई ए सं. 2022 का 54 (स्व. प्रेरणा से)	आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 तेलंगाना सरकार द्वारा आयोग को पत्र संख्या 630/पावर में आयोग को तेलंगाना सरकार द्वारा जारी नर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एचएमआरएल (मेट्रो) [एचटी–वी (ख) एचएमआर, के बराबर एचएमडब्ल्यूएसएसबी (एचटी–आई (क)] के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के विस्तार के मामले में आदेश पारित किया।

25. उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी महत्वपूर्ण विनियम:

1) यूपीईआरसी (टैरिफ निर्धारण की कार्यप्रणाली) विनियम, 2023

2) यूपीईआरसी (जनरेशन टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 में पहला संशोधन

3) यूपीईआरसी दूरसंचार नेटवर्क सुविधा विनियम, 2022

4) उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन संयंत्रों और कैप्टिव उपभोक्ताओं का सत्यापन) विनियमन, 2022

5) यूपीईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच) विनियम, 2022

6) यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम ग्रॉस/नेट मीटरिंग) विनियम, 2019 (पहला संशोधन/परिशिष्ट)

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

1) उत्पादन प्रभाग में 100 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें से बीस ट्रू अप ऑर्डर और तीन एमवाईटी ऑर्डर जारी किए गए। अन्य महत्वपूर्ण आदेशों में 500 मेगावाट जलविद्युत की खरीद को मंजूरी, बैटरी स्टोरेज की स्थापना के लिए बोली दस्तावेजों को मंजूरी, 125 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद और एनटीपीसी दादरी चरण–I परियोजना से 84 मेगावाट विद्युत खरीद को छोड़ना शामिल है।

2) पॉवरग्रिड गोमती यमुना पारेषण लिमिटेड को पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया।

अन्य पारेशण उपलब्धियां:

1) ब्लॉकचैन आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से पीर टू पीर सौर ऊर्जा के लिए जारी दिशानिर्देश।

26. उत्तराखंड विद्युत विविनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विवरण	विनियमन की अधिसूचना की तिथि	विषय
1	विनियम	11.06.2022	यूईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2022
2		30.07.2022	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम 2022
3		20.08.2022	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022
4		08.10.2022	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022
5		21.03.2023	यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2022

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	याचिका संख्या	आदेश की तारीख	याचिकाकर्ता / प्रतिवादी	विषय
1.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 38 से 47	30.03.2023	यूजेवीएन लिमिटेड	यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 10 एलएचपी के लिए वार्षिक निश्चित प्रभार के लिए दायर याचिका
2.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 12 (स्वतः संज्ञान)	04.05.2022	-	वित्त वर्ष 2022–23 और उसके बाद आयोग द्वारा समीक्षा / संशोधित होने तक लागू सोलर पीवी, सोलर थर्मल और ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप और छोटे सोलर पीवी संयंत्रों के बेंचमार्क पूंजी लागत की समीक्षा के लिए याचिका
3.	विविध. आवेदन सं.: 2022 का 15	05.05.2022	उरेडा बनाम- यूपीसीएल	मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सौर पीवी ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए आयोग द्वारा दिनांक 11 / 05 / 2020, 30 / 09 / 2020 और 05 / 10 / 2020 के आदेश के तहत अनुमोदित बेंचमार्क पूंजी लागत और सामान्य टैरिफ की नियंत्रण अवधि को मार्च 2023 तक बढ़ाने की मांग वाली याचिका
4.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 26	12.09.2022	यूपीसीएल	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.2022 के खंड 6.1.3.5 में दिए गए संशोधित टाइम ऑफ डे मीटरिंग के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने की मांग वाली याचिका।
5.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 52	30.03.2023	यूपीसीएल	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के ट्रू अप, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए दायर याचिका
6.	वर्ष 2022 की याचिका सं. 50	30.03.2023	मैसर्स श्रवणथी एनर्जी प्रा. लि. बनाम यूपीसीएल	मैसर्स श्रवणथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के ट्रू अप, वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा के लिए दायर याचिका

27. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम का विषय/नाम	विनियम की संख्या	जारी करने की तिथि
1.	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच) विनियमन, 2022	75/डब्लूबीईआरसी	01.08.2022
2.	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2023	76/डब्लूबीईआरसी	13.03.2023

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	प्रयोज्यताएं	मामला संख्या	आदेश की तारीख	वर्ष के लिए	विषय – वस्तु
1.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	टीपी-98/22-23	गुरुवार, मार्च 30] 2023	2023-2024	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) एवं धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(क) के अंतर्गत वर्ष 2023–2024, 2024–2025 एवं 2025–2026 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के टैरिफ आवेदन के संबंध में
2.	सीईएससी लिमिटेड	टीपी-96/20-21	सोमवार, अगस्त 1, 2022	2020-2021 2021-2022	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) और धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(क) के तहत वर्ष 2020–2021, 2021–2022 और 2022–2023 के लिए सीईएससी लिमिटेड के टेरिफ आवेदन के संदर्भ में
3.	डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	टीपी-90/20-21	शनिवार, 30 जुलाई 2022	2022-2023	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) के साथ पठित धारा 64(3)(ए) के अंतर्गत वर्ष 2020–21,2021–22 एवं 2022–23 के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की सातवीं नियंत्रण अवधि के तहत बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन के संबंध में

4.	डब्ल्यूबीएसई टीसीएल	टीपी-89/20-21	गुरुवार, जुलाई 28, 2022	2022-2023	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) और धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(ए) के तहत वर्ष 2020–2021, 2021–2022 और 2022–2023 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के टैरिफ आवेदन के संबंध में
5.	डीवीसी	टीपी-79/18-19	शुक्रवार, 17 जून 2022	2018-2019, 2019-2020	वर्ष 2018–2019 एवं 2019–2020 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दामोदर घाटी क्षेत्र के हिस्से के लिए विद्युत के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
6.	डीवीसी	टीपी-71/16-17	गुरुवार, 5 मई	2017-2018	वर्ष 2017–2018 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दामोदर घाटी क्षेत्र के हिस्से के लिए विद्युत के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में

अनुबंध - II

सीईआरसी द्वारा निर्धारित उत्पादन (जनरेशन) टैरिफ

क. थर्मल और गैस पावर स्टेशनों का निश्चित प्रभार और ऊर्जा प्रभार

एनटीपीसी उत्पादन स्टेशन					
क्र. सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता (मेगावाट)	मानक निर्धारित प्रभार (रु./किलोवाट)/ 85 प्रतिशत एसजी की दर से	ईसीआर (रुपये /किलोवाट घंटा)	कुल टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)
1	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	0.660	1.492	2.152
2	रिहंद एसटीपीएस-I	1000	0.844	1.522	2.366
3	रिहंद एसटीपीएस-II	1000	0.768	1.562	2.330
4	रिहंद एसटीपीएस-III	1000	1.443	1.544	2.987
5	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-I	420	1.024	4.407	5.431
6	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-II	420	1.096	4.134	5.230
7	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-III	210	1.193	4.391	5.584
8	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-IV	500	1.655	4.131	5.786
9	टांडा-I	440	1.264	5.025	6.290
10	टांडा-II	660	1.469	3.880	5.350
11	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	0.973	4.868	5.841
12	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	1.393	4.788	6.181
13	कोरबा एसटीपीएस-I और II	2100	0.743	1.529	2.272
14	कोरबा एसटीपीएस-III	500	1.349	1.471	2.820
15	सीपत एसटीपीएस-I	1980	1.280	1.989	3.270
16	सीपत एसटीपीएस-II	1000	0.986	2.240	3.225
17	विंध्याचल एसटीपीएस-I	1260	0.896	1.621	2.517
18	विंध्याचल एसटीपीएस-II	1000	0.769	1.534	2.304
19	विंध्याचल एसटीपीएस-III	1000	0.912	1.546	2.458
20	विंध्याचल एसटीपीएस-IV	1000	1.565	1.532	3.097
21	विंध्याचल एसटीपीएस-V	500	1.672	1.585	3.256
22	लरा	1600	1.674	2.531	4.205
23	सेलापुर	1320	1.720	4.962	6.683
24	मौदा एसटीपीएस-I	1000	1.723	4.240	5.963
25	मौदा एसटीपीएस-II	1320	1.495	4.298	5.793
26	गाडरवारा	1600	2.077	4.230	6.307
27	खरगोन	1320	1.813	4.865	6.678
28	तालचेर एसटीपीएस-I	1000	0.959	1.917	2.875
29	तालचेर एसटीपीएस-II	2000	0.714	1.937	2.651
30	तालचेर टीपीएस	460	1.662	1.164	2.825
31	दर्लीपाली	800	1.048	3.707	4.755
32	कहलगांव एसटीपीएस-I	840	1.089	3.530	4.619
33	कहलगांव एसटीपीएस-II	1500	0.824	3.840	4.664
34	फरक्का एसटीपीएस-I और II	1600	1.492	3.730	5.222

35	फरक्का एसटीपीएस-III	500	2.424	3.174	5.598
36	बाढ़ एसटीपीएस-II	1320	1.840	3.432	5.272
37	बरौनी-I	220	0.767	4.583	5.350
38	बरौनी-II	250	1.760	2.729	4.489
39	बोंगाईगांव टीपीएस	750	2.406	3.823	6.229
40	रामागुंडम एसटीपीएस-I और II	2100	0.728	4.024	4.751
41	रामागुंडम एसटीपीएस-III	500	0.833	3.710	4.543
42	सिम्हाद्रि एसटीपीएस-I	1000	0.962	4.479	5.441
43	सिम्हाद्रि एसटीपीएस-II	1000	1.450	4.350	5.800
44	कुडगी	2400	1.668	5.573	7.241
45	नबीनगर एसटीपीएस-I	1980	2.174	2.756	4.930
46	मुजफ्फरपुर टीपीएस-II	390	2.741	2.766	5.507
47	उत्तर कर्णपुरा-I	660	2.412	1.608	4.020
वर्ष 2022–23 के लिए एनटीपीसी गैस स्टेशनों का टैरिफ					
48	फरीदाबाद	431.59	0.746	4.080	4.826
49	औरैया	663.36	0.635	19.134	19.769
50	दादरी	829.78	0.515	14.218	14.733
51	अन्ता	419.33	0.709	19.270	19.979
52	गंधार	657.39	0.856	11.741	12.597
53	कवास	656.20	0.878	17.525	18.402
54	कायमकुलम	359.58	0.384	0.000	0.384
वर्ष 2022–23 के लिए एनटीपीसी–जेवी स्टेशनों का टैरिफ					
55	एमयूएनपीएल, मेजा	1320	1.990	3.125	5.114
56	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	1.585	4.606	6.191
57	एनटीईसीएल, वेल्लूर	1500	1.727	3.532	5.259
मैथन पावर लिमिटेड					
58	मैथन पावर लिमिटेड	1050	1.389	2.741	4.13
एनएलसी स्टेशन					
59	टीएस-II स्टे.1	630	2.733	0.71	3.44
60	टीएस-II स्टे.2	840	2.737	0.74	3.47
61	टीएस-I एक्स.	420	2.443	0.99	3.43
62	बीटओपीएस	250	2.310	1.130	3.44
63	टीएस-2 एक्स.	500	2.614	2.13	4.75
64	एनटीपीएल	1000	1.553	4.171	5.724
65	एनएनटीपीपी	1000	2.202	1.80	4.01
डीवीसी					
66	एमटीपीएस (1-3)	630	1.04	3.66	4.69
67	एमटीपीएस (4)	210	1.00	3.39	4.40
68	एमटीपीएस (5-6)	500	1.13	3.78	4.91
69	एमटीपीएस (7-8)	1000	1.49	3.58	5.07
70	सीटीपीएस (7-8)	500	1.73	3.62	5.35
71	डीएसटीपीएस (1-2)	1000	1.53	3.79	5.32

72	केटीपीएस (1-2)	1000	1.68	3.54	5.22
73	आरटीपीएस (1-2)	1200	1.63	3.88	5.51
74	बीटीपीएस ए	500	2.20	2.77	4.97
पीपीसीएल बवाना					
75	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.32	6.759	8.079
ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, पलटाना प्रोजेक्ट					
76	पालटाना	726.6	1.31	1.95	3.26
नीपको गैस संयंत्र					
77	एजीबीपी	291.00	1.8835	2.062	3.9455
78	एजीटीसीसीपी	135.00	1.884	2.582	4.466
79	टीजीबीपी	101.00	2.5354	1.583	4.1184

ख. हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों का समग्र टैरिफ

क्र. सं.	पावर स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	इकाइयों/क्षमता की संख्या (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समग्र टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रु./किलोवाट घंटा)
एनएचपीसी					
1	बैरास्यूल	180	(3x60)	779.28	2.23
2	सलाल	690	(6x115)	3082	1.50
3	टनकपुर	94.2	(3x31.4)	452.19	4.76
4	चमेरा-I	540	(3x180)	1664.55	2.22
5	उरी-I	480	(4x120)	2587.38	1.64
6	चमेरा-II	300	(3x100)	1499.89	2.01
7	धौलीगंगा	280	(4x70)	1134.69	2.51
8	दुलहस्ती	390	(3x130)	1906.8	4.57
9	लोकतक	105	(3x35)	448	3.89
10	रंगीत	60	(3x20)	338.61	3.90
11	तीस्ता-V	510	(3x170)	2572.7	2.33
12	उरी-II	240	(4x60)	1123.77	4.26
13	निमू बाजगो	45	(3x15)	239.33	9.13
14	चुटक	44	(4x11)	212.93	8.90
15	सेवा-II	120	(3x40)	533.53	5.30
16	चमीरा-III	231	(3x77)	1108.17	4.21
17	पारबती-III	520	(4x130)	1963.29	3.08
18	टीएलडीपी-III	132	(3x44)	594.07	5.30
19	टीएलडीपी-IV	160	(4x40)	720	4.35
20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	3.94
एसजेवीएनएल					
21	नाथपा झाकरी	1500	(250x6)	6612	2.406
22	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.162
नीपको					
23	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	2.745

24	कोपिली एसटी-I	200	(4x50)	1186.14	1.421
25	कोपिली एसटी-II	25	(1x25)	86.30	2.96
26	खांडोंग	50	(2x25)	227.61	1.775
27	दोयांग	75	(3x25)	227.24	6.751
28	तुइरियल	60	(2x30)	250.63	5.124
29	पारे*	110	(2x55)	506.42	5.27
30	कामेंग*	600	(4x150)	3353	4
टीएचडीसी					
31	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.81
32	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	5.29
एनएचडीसी					
33	इंदिरा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.80
34	ओंकारेश्वर	520	(8x65)	677.47	4.63
डीवीसी					
35	मैथन	63.20	(2x20,1x23.20)	137	2.999
36	पंचेट	80	(2x40)	237	1.608
37	तालिया	4	(2x2)	9.97	12.235
आईपीपी					
38	करचम वांगटू	1000	(4x250)	4559.77	2.798
एनटीपीसी					
39	कोल्डम	800	(4x200)	3054.79	7.332

ग. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ	
विवरण	**स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2022–23) (रुपये / किलोवाट घंटा)**
लघु जल विद्युत परियोजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख (5 मेगावाट से कम)	5.23
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख। (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.76
अन्य राज्य (5मेगावाट से कम)	5.84
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.76

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास पावर परियोजनाएं ख्वावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना से भिन्न, वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.70	5.52	8.22	0.11	8.10
हरियाणा	2.75	6.28	9.04	0.11	8.93
महाराष्ट्र	2.77	6.43	9.19	0.11	9.08
पंजाब	2.78	6.57	9.35	0.11	9.24
राजस्थान	2.69	5.49	8.18	0.11	8.07
तमिलनाडु	2.69	5.43	8.12	0.11	8.01
तेलंगाना	2.69	5.52	8.22	0.11	8.10
उत्तर प्रदेश	2.70	5.62	8.32	0.11	8.21
अन्य	2.73	5.90	8.63	0.11	8.52

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
एयर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ बायोमास पावर प्रोजेक्ट ख्वावल के भूसे और जूलीफ्लोरा बागान से भिन्न, आधारित परियोजना,					
आंध्र प्रदेश	2.84	5.65	8.49	0.12	8.36
हरियाणा	2.90	6.43	9.33	0.12	9.20
महाराष्ट्र	2.91	6.57	9.48	0.12	9.36
पंजाब	2.92	6.72	9.65	0.12	9.52
राजस्थान	2.84	5.61	8.45	0.12	8.32
तमिलनाडु	2.83	5.55	8.39	0.12	8.26
तेलंगाना	2.84	5.65	8.49	0.12	8.36
उत्तर प्रदेश	2.85	5.74	8.59	0.12	8.47
अन्य	2.87	6.04	8.91	0.12	8.79

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स [चावल का भूसा और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना] वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.80	5.52	8.32	0.12	8.20
हरियाणा	2.86	6.28	9.14	0.12	9.02
महाराष्ट्र	2.87	6.43	9.30	0.12	9.17
पंजाब	2.88	6.57	9.45	0.12	9.33
राजस्थान	2.80	5.49	8.28	0.12	8.16
तमिलनाडु	2.79	5.43	8.22	0.12	8.10
तेलंगाना	2.80	5.52	8.32	0.12	8.20
उत्तर प्रदेश	2.81	5.62	8.42	0.12	8.30
अन्य	2.83	5.90	8.73	0.12	8.61

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
एयर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स ख्वावल का भूसा और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना,					
आंध्र प्रदेश	2.95	5.65	8.59	0.13	8.46
हरियाणा	3.00	6.43	9.43	0.13	9.30
महाराष्ट्र	3.02	6.57	9.59	0.13	9.46
पंजाब	3.03	6.72	9.75	0.13	9.62
राजस्थान	2.94	5.61	8.55	0.13	8.42
तमिलनाडु	2.94	5.55	8.49	0.13	8.36
तेलंगाना	2.94	5.65	8.59	0.13	8.45
उत्तर प्रदेश	2.95	5.74	8.70	0.13	8.56
अन्य	2.98	6.04	9.02	0.13	8.88

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं ख्वावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना से भिन्न, वाटर कूल्ड कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.69	5.42	8.11	0.11	8.00
हरियाणा	2.75	6.17	8.92	0.11	8.81
महाराष्ट्र	2.76	6.31	9.07	0.11	8.96
पंजाब	2.77	6.45	9.22	0.11	9.11
राजस्थान	2.69	5.39	8.07	0.11	7.96
तमिलनाडु	2.68	5.33	8.02	0.11	7.90
तेलंगाना	2.69	5.42	8.11	0.11	8.00
उत्तर प्रदेश	2.70	5.52	8.21	0.11	8.10
अन्य	2.72	5.80	8.52	0.11	8.40

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
एयर कूल्ड कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ बायोमास पावर परियोजनाएं ख्वावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना से भिन्न,					
आंध्र प्रदेश	2.83	5.54	8.38	0.12	8.25
हरियाणा	2.89	6.31	9.20	0.12	9.08
महाराष्ट्र	2.90	6.45	9.36	0.12	9.24
पंजाब	2.91	6.60	9.52	0.12	9.39
राजस्थान	2.83	5.51	8.34	0.12	8.22
तमिलनाडु	2.83	5.45	8.28	0.12	8.16
तेलंगाना	2.83	5.54	8.38	0.12	8.25
उत्तर प्रदेश	2.84	5.64	8.48	0.12	8.36
अन्य	2.86	5.93	8.79	0.12	8.67

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स ख्वावल का भूसा और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, वाटर कूल्ड कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.79	5.42	8.21	0.12	8.09
हरियाणा	2.85	6.17	9.02	0.12	8.90
महाराष्ट्र	2.86	6.31	9.17	0.12	9.05
पंजाब	2.87	6.45	9.33	0.12	9.20
राजस्थान	2.79	5.39	8.18	0.12	8.05
तमिलनाडु	2.79	5.33	8.12	0.12	8.00
तेलंगाना	2.79	5.42	8.21	0.12	8.09
उत्तर प्रदेश	2.79	5.52	8.32	0.12	8.19
अन्य	2.82	5.80	8.62	0.12	8.50

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
एयर कूल्ड कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स ख्वावल का भूसा और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना,					
आंध्र प्रदेश	2.94	5.54	8.48	0.13	8.35
हरियाणा	3.00	6.31	9.31	0.13	9.18
महाराष्ट्र	3.01	6.45	9.46	0.13	9.33
पंजाब	3.02	6.60	9.62	0.13	9.49
राजस्थान	2.94	5.51	8.45	0.13	8.31
तमिलनाडु	2.93	5.45	8.39	0.13	8.25
तेलंगाना	2.94	5.54	8.48	0.13	8.35
उत्तर प्रदेश	2.95	5.64	8.59	0.13	8.45
अन्य	2.97	5.93	8.90	0.13	8.76

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बैगेस आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्र प्रदेश	2.98	3.62	6.60	0.16	6.43
हरियाणा	2.69	5.15	7.84	0.14	7.70
महाराष्ट्र	2.41	5.07	7.49	0.12	7.36
पंजाब	2.64	4.53	7.17	0.14	7.03
राजस्थान	2.32	3.90	6.22	0.12	6.10
तमिलनाडु	2.57	3.62	6.19	0.14	6.05
तेलंगाना	3.01	4.04	7.05	0.16	6.88
उत्तर प्रदेश	2.63	4.38	7.01	0.14	6.87

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2022 – 23)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमा गैसीफायर पॉवर प्रोजेक्ट					
आंध्र प्रदेश	2.66	5.09	7.75	0.08	7.67
हरियाणा	2.71	5.80	8.51	0.08	8.43
महाराष्ट्र	2.72	5.93	8.65	0.08	8.57
पंजाब	2.73	6.06	8.80	0.08	8.71
राजस्थान	6.65	5.06	7.72	0.08	7.63
तमिलनाडु	2.65	5.01	7.66	0.08	7.58
तेलंगाना	2.66	5.09	7.75	0.08	7.67
उत्तर प्रदेश	2.67	5.18	7.85	0.08	7.76
अन्य	2.69	5.45	8.13	0.08	8.05
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.40	5.34	8.75	0.16	8.59

एसईआरसी / जेईआरसी द्वारा जारी टेरिफ आदेश जारी करने की समयसीमा

क्र.सं	राज्य	डिस्कॉम	वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए लागू टैरिफ आदेश			
			विनियमन के अनुसार टैरिफ के अनुमोदन की तिथि	टैरिफ के अनुमोदन की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	टिप्पणी
1	अंडमान और निकोबार	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन (ईडी ए एंड एन)	2022-23	01 अगस्त, 2022		ट्रू अप नहीं किया गया था
2	आंध्र प्रदेश	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी. लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल)	2022-23	30 मार्च, 2022		
		साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी. लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल)	2022-23	30 मार्च, 2022		
		सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी. लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल)	2021-22	30 मार्च, 2022		
3	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश (डीओपी, एपी)	2018-19	31 मई, 2022	2022–2023 के लिए कोई नया टैरिफ जारी नहीं किया गया	
4	असम	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल)	2022-23	21 मार्च, 2022		
5	बिहार	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल)	2022-23	25 मार्च, 2022		
		दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल)	2022-23	25 मार्च, 2022		
6	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग (सीईडी)	2022-23	11 जुलाई, 2022		ट्रू अप नहीं किया गया था
7	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL)	2022-23	13 अप्रैल, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
8	दमन और दीव	दमन एवं दीव विद्युत विभाग (डीडीईडी)	2022-23	31 मार्च, 2022		
9	दादरा और नगर हवेली	दादरा एवं नगर हवेली विद्युत वितरण निगम लि. (डीएनएचपीडीसीएल)	2022-23	31 मार्च, 2022		
10	दिल्ली	बीआरपीएल	2021-22	30 सितंबर, 2021		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।

		बीवाईपीएल	2021-22	30 सितंबर, 2021		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		टीपीडीडीएल	2021-22	30 सितंबर, 2021		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
11	गोवा	विद्युत विभाग, गोवा (ईडीजी)	2022-23	31 मार्च, 2022		
12	गुजरात	दक्षिण गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल)	2022-23	31 मार्च, 2022		
		मध्य गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल)	2022-23	31 मार्च, 2022		
		पश्चिम गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल)	2022-23	31 मार्च, 2022		
		उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल)	2022-23	31 मार्च, 2022		
13	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल)	2022-23	30 मार्च, 2022		
		उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल)	2022-23	30 मार्च, 2022		
14	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल)	2022-23	29 मार्च, 2022		
15	जम्मू और कश्मीर	जेकेपीडीसीएल	2022-23	13 अक्तूबर, 2022		
		केपीडीसीएल	2022-23	13 अक्तूबर, 2022		
16	झारखंड	झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	1 अक्तूबर, 2020	आखिरी टैरिफ आदेश वर्ष 2020–2021 के लिए जारी किया गया था। इसके उपरांत कोई नया टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया है।	
17	कर्नाटक	बेसकॉम	2022-23	4 अप्रैल, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		चेसकॉम	2022-23	4 अप्रैल, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।

		गेसकॉम	2022-23	4 अप्रैल, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		हेसकॉम	2022-23	4 अप्रैल, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		मेसकॉम	2022-23	4 अप्रैल, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
18	केरल	केएसईबी लिमिटेड	2022-23	25 जून, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
19	लक्षद्वीप	विद्युत विभाग, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप	2022-23	31 मार्च, 2022		
20	मध्य प्रदेश	एमपीएम केवीवीसीएल	2022-23	31 मार्च, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		MPPaKVVCL	2022-23	31 मार्च, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		MPPoKVVCL	2022-23	31 मार्च, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
21	महाराष्ट्र	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण)	2021-22	30 मार्च, 2020		
		आरइन्फ्रा डी/अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल)	2021-22	30 मार्च, 2020		
		महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)	2021-22	30 मार्च, 2020		
		बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम(बीईएसटीटी)	2021-22	30 मार्च, 2020		
22	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)	2022-23	23 मार्च, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।

23	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	25 मार्च, 2022		
24	मिजोरम	विद्युत और विद्युत विभाग (पी एंड ईडी), मिजोरम	2022-23	23 मार्च, 2022		
25	नागालैंड	विद्युत विभाग, नागालैंड (डीपीएन)	2022-23	2 जून, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
26	ओडिशा	टीपीसीओडीएल (पूर्ववर्ती सीईएसयू)	2022-23	24 मार्च, 2022		
		टीपीएनओडीएल (पूर्ववती एनईएससीओ यूटिलिटी)	2022-23	24 मार्च, 2022		
		टीपीएसओडीएल (पूर्ववती साउथको यूटिलिटी)	2022-23	24 मार्च, 2022		
		टीपीडब्ल्यूओडीएल (पूर्ववती वेस्को यूटिलिटी)	2022-23	24 मार्च, 2022		
27	पुडुचेरी	पुडुचेरी विद्युत विभाग (पीईडी)	2022-23	31 मार्च, 2022		
28	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	2022-23	31 मार्च, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
29	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	31 मार्च, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	31 मार्च, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	31 मार्च, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
30	सिक्किम	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग, सिक्किम (ईपीडीएस)	2022-23	14 मार्च, 2022		
31	तेलंगाना	तेलंगाना उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएनपीडीसीएल)	2022-23	23 मार्च, 2022		
		तेलंगाना दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल)	2022-23	23 मार्च, 2022		

32	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल)	2022-23	2 सितंबर, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
33	तमिलनाडु	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनहीईडीसीओ)	2022-23	9 सितंबर, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
34	उतार प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आगरा डिस्कॉम या डीवीवीएनएल)	2022-23	20 जुलाई, 2022		आदेश में जारी करने में विलंब का उल्लेख नहीं है।
		कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	2022-23	20 जुलाई, 2022		
		मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (लखनऊ डिस्कॉम या एमवीवीएनएल)	2022-23	20 जुलाई, 2022		
		पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मेरठ डिस्कॉम या पीवीवीएनएल)	2022-23	20 जुलाई, 2022		
		पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाराणसी डिस्कॉम या पीयूवीवीएनएल)	2022-23	20 जुलाई, 2022		
35	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल)	2022-23	31 मार्च, 2022		
36	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)	2022-23	28 मार्च, 2022		

स्रोतः संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग की वेबसाइट

अनुबंध - IV

सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के संबंध में रिक्त पदों का सारांश

क्र.सं.	राज्य	रिक्तियों की स्थिति सीजीआरएफ	लोकपाल के रिक्त पदों की स्थिति
1	असम	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
2	आंध्र प्रदेश	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
3	अरुणाचल प्रदेश	रिक्त पद नहीं	एक रिक्त पद
4	बिहार	रिक्त पद नहीं	लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है
5	दिल्ली	तीन रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
6	गुजरात	पांच रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
7	हरियाणा	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
8	हिमाचल प्रदेश	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
9	झारखंड	सात रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
10	कर्नाटक	तीन रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
11	केरल	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
12	मध्य प्रदेश	तीन रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
13	महाराष्ट्र	चौदह रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
14	मेघालय	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
15	ओडिशा	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
16	पंजाब	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
17	राजस्थान	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
18	तमिलनाडु	तीन रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
19	उत्तराखंड	तीन रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
20	उत्तर प्रदेश	न्यायिक सदस्य के पद पर पंद्रह रिक्तियां और तकनीकी सदस्य के पद पर चौदह रिक्तियां	रिक्त पद नहीं
21	पश्चिम बंगाल	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
22	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
23	जेईआरसीएस गोवा और सभी केंद्रशासित प्रदेश	चार रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
24	जेईआरसी जम्मू–कश्मीर और लद्दाख	अभी नामांकित नहीं हुआ है	लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है
25	छत्तीसगढ	एक रिक्त पद	रिक्त पद नहीं
26	त्रिपुरा	रिक्त पद नहीं	एक रिक्त पद
27	सिक्किम	रिक्त पद नहीं	रिक्त पद नहीं
28	नगालैंड	शून्य	शून्य
29	तेलंगाना	एक रिक्त पद	रिक्त पद नहीं

सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2022 से मार्च 2023

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतें	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के अंत तक लंबित शिकायतें	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 से पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2022 से मार्च, 2023 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
1	असम	गुवाहाटी, रंगिया, सिलचर, नागांव, तेजपुर, जोरहाट, बोंगाईगांव और डिब्रूगढ़	8	4	20	17	5	“kwU;	69
2	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	3	28	295	266	57	4	75
		एपीईपीडीसीएल		16	90	89	17	12	51
		एपीईपीडीसीएल		18	198	195	21	13	155
		योग		62	583	550	95	29	281
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन, पासीघाट, मियाओ, दिरांग, जीरो, आलो, तेजू	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	पीईएसयू पश्चिम, पीईएसयू पूर्वी, पटना, नालंदा, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, आरा, सासाराम, भागलपुर, जम्मूई, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर] बेगुसराय, मोतिहारी, छपरा, समस्तीपुर, किशनगंज और सहरसा	5	238	790	815	215	137	1654
5	दिल्ली	टीपीडीडीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीएमसी	4	120	667	587	167	35	213
6	गुजरात	डीजीवीसीएल, सूरत, डीजीवीसीएल वलसाड,							

		एमजीवीसीएल वडोदरा, एमजीवीसीएल गोधरा, पीजीवीसीएल राजकोट, पीजीवीसीएल भावनगर, पीजीवीसीएल भुज, पीजीवीसीएल जूनागढ़, यूजीवीसीएल मेहसाणा, यूजीवीसीएल अहमदाबाद, टीपीएल–डी अहमदाबाद, टीपीएल–डी सूरत और टीपीएल–डी दाहेज	13	49	633	620	62	6	299
7	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	2	33	49	48	34	5	36
		डीएचबीवीएनएल		148	64	201	11	0	33
		योग		181	113	249	45	5	69
8	हिमाचल प्रदेश	कसुमटी, शिमला	1	17	41	44	14	8	27
9	झारखंड	सेल बोकारो, जुस्को, टाटा स्टील लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि., विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, चाईबासा, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुमका, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, हजारीबाग, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जेएसईबी, मेदिनीनगर, दामोदर वैली	9	54	31	28	58	43	151
10	कर्नाटक	बेसकॉम, मेस्कॉम, हेस्कॉम, गेस्कॉम, सीईएससी	5	99	190	207	82	72	129

11	केरल	सीजीआरएफ कोट्टाराक्करा, सीजीआरएफ एर्नाकुलम, सीजीआरएफ कोझिकोड, सीजीआरएफ त्रिशूर, सीजीआरएफ त्रिवेन्द्रम, सीजीआरएफ कोच्चि, सीजीआरएफ मुन्नार, सीजीआरएफ टेक्नोपार्क कझाकुट्टम, सीएसईजेडए कक्कनद कोच्चि, केपीयूपीएल कक्कनद कोच्चि, आरपीआईएल वलयनचिरंगारा, एर्नाकुलम, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट विलिंगडन द्वीप कोच्चि, इन्फोपार्क कक्कनाड कोच्चि ची और स्मार्ट सिटी कोच्चि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड भ्रमापुरम पी.ओ. कोच्चि	12	111	358	400	69	11	128
12	मध्य प्रदेश	ईसीजीआरएफ जबलपुर, ईसीजीआरएफ इंदौर, ईसीजीआरएफ भोपाल	3	253	1007	1173	87	28	236
13	महाराष्ट्र	भांडुप शहरी क्षेत्र, कोल्हापुर क्षेत्र, नासिक क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र, लातूर क्षेत्र, औरंगाबाद क्षेत्र, अमरावती क्षेत्र, पुणे क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र, गोंदिया क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र, जलगांव क्षेत्र, नांदेड़ क्षेत्र, बारामती क्षेत्र, चंद्रपुर क्षेत्र, अकोला क्षेत्र, बेस्ट अंडरटेकिंग, एईएमएल–डी', टीपीसी–डी, माइंडस्पेस,							

		गीगाप्लेक्स, एनयूपीएलआईपी ('एईएमएल–डी को पूर्व में फिनफ्रा–डी के नाम से जाना जाता था)	18	616	1604	1272	683	302	1840
14	मेघालय	एमईइईसीएल, सीजीआरएफ	2	2	6	2	4	3	8
15	ओडिशा	भुवनेश्वर, खुर्दा, कटक, ढेंकनाल, पारादीप, राउरकेला, बुर्ला, बलांगीर, बालासोर, जाजपुर रोड, बेरहामपुर, जेपोर	12	709	8834	8609	907	236	1248
16	पंजाब	पीएसपीसीएल, पटियाला, लुधियाना	2	122	360	344	138	0	81
17	राजस्थान	निगम स्तरीय –अजमेर, जयपुर, जोधपुर अंचल स्तरीय – जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर (कुल–9)	12	47	273	299	21	10	63
18	तमिलनाडु	चेंगलपट्टू ईडीसी, चेन्नई ईडीसी (उत्तर) चेन्नई ईडीसी (पश्चिम), चेन्नई ईडीसी सेंट्रल चेन्नई ईडीसीध्साउथ–-I, चेन्नई ईडीसीध्साउथ-II कोयंबटूर ईडीसीध्मेट्रो, कोयंबटूर ईडीसीध्उत्तर, कोयंबटूर ईडीसी, साउथ कुड्डालोर ईडीसी, धर्मपुरी ईडीसी, डिंडीगुल ईडीसी, इरोड							

		ईडीसी, गोबी ईडीसी, कल्लाकुरिची ईडीसी, कांचीपुरम.ईडीसी, कन्याकुमारी ईडीसी, करूर ईडीसी, कृष्णागिरी ईडीसी, मदुरै ईडीसी, मदुरै ईडीसी/मेट्रो मेट्टूर ईडीसी, नागापट्टिनम ईडीसी, नमक्कल ईडीसी, नीलगिरी ईडीसी, पल्लदम ईडीसी, पेरम्बलूर ईडीसी, पुदुकोट्टई ईडीसी, रामनाथीपुरम ईडीसी, सलेम ईडीसी, शिवगंगा ईडीसी तंजावुर ईडीसी थेनी विद्युत वितरण मंडल तिरुपत्तूर ईडीसी, तिरुवनमलाई ईडीसी, तिरुनेलवेली ईडीसी	44	350	3558	3505	403	25	366
19	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट, फैजाबाद, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, झांसी केस्को कानपुर, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी	20	1374	1116	918	1572	1454	1633
20	उत्तराखंड	देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तरकाशी,							

		कर्णप्रयाग, हलद्वानी, रुद्रपुर, अल्मोडा, पिथौरागढ	9	180	1343	1283	240	202	थ्नसस ज्पउम
21	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, सीईएससी, डीवीसी, आईपीसीएल	4	16	1964	1900	80	34	1623
22	(जेईआरसी) मणिपुर और मिजोरम	पी एंड ई विभाग, सीजीआरएफ, मिजोरम मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
			1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		योग	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा	गोवा, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी	6	56	468	464	60	7	226
24	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, लद्दाख	जेपीडीसीएल, जम्मू केपीडीसीएल, श्रीनगर एलपीडीडी, लेह	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	सिक्किम	मंगन, गंगटोक, गेजिंग, नामची, पाकयोंग, सोरेंग	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	छत्तीसगढ	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, भिलाई	5	49	191	202	38	17	308

27	त्रिपुरा	टीएसईसीएल–सीजीआरएफ-I, सीजीआरएफ-II, टीएसईसीएल–सीजीआरएफ-III	3	शून्य	3	3	लागू नहीं	शून्य	शून्य
28	नगालैंड	मोकोकचुंग, दीमापुर	2	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल-I और II, टीएसएनपीडीसीएल-I और II	4	196	2515	2096	626	301	266

लोकपाल द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति – अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	लोकपाल की संख्या	मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के अंत तक लंबित शिकायतें	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 से दो माह पुरानी लंबित शिकायतें	वर्ष में लोकपाल की बैठकों की संख्या (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)
1	असम	1	2	4	5	1	शून्य	12
2	आंध्र प्रदेश	1	0	29	28	1	0	109
3	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	1	15	11	16	10	8	60
5	दिल्ली	1	1	36	41	7	4	46
6	गुजरात	2	59	87	113	33	11	159
7	हरियाणा	1	1	31	14	18	0	23
8	हिमाचल प्रदेश	1	3	32	22	13	8	20
9	झारखंड	1	6	3	1	8	7	3
10	कर्नाटक	1	26	48	46	28	22	232
11	केरल	1	22	97	110	9	0	118
12	मध्य प्रदेश	1	9	20	29	0	0	40
13	महाराष्ट्र	2	45	281	256	60	0	286
14	मेघालय	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	ओडिशा	2	136	303	340	99	60	535
16	पंजाब	1	3	61	64	Nil	Nil	124
17	राजस्थान	1	5	20	25	0	0	पूर्णकालिक

18	तमिलनाडु	1	29	108	116	21	9	101
19	उत्तराखंड	1	18	41	45	14	0	पूर्णकालिक
20	उतार प्रदेश।	1	82	229	177	134	44	54
21	पश्चिम बंगाल	2	154	226	283	98	84	अवधि के दौरान सभी कार्य दिवस
22	(जेईआरसीएमएम) मणिपुर और मिजोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	जेईआरसी गोवा और सभी केन्द्र शासित प्रदेश	1	2	31	29	4	शून्य	26
24	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, लद्दाख	नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	छत्तीसगढ	1	6	37	27	16	0	223
26	त्रिपुरा	छव	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	नगालैंड	नियुक्ति अभी की जानी है	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	तेलंगाना	1	74	45	115	4	0	166